DOMESTIC WORKERS' (CONDITIONS OF SERVICE) BILL, 1990—CONTD.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up further consideration of the following motion moved by Dr. Bapu Kaldate on the 22nd December, 1989, namely:—

That the Bill to provide for the fixation of wages and for improvement of working conditions of domestic workers and for matters connected therewith, be taken into consideration.

Yes, Shri Satya Prakash Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीया उपसभापति जी, डा० बापू कालदाते ने घरेलू कर्मकारों की मजदूरी नियत करने तथा उनके काम की परिस्थितियों में सुधार करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया है और जिसका नाम घरेलू कर्मकार (सेवा की शर्तें) विधेयक 1989 का रखा गया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा० जी० विजय मोहन रेड्डी) पीठासीन हुए।

इस देश में गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से और सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको घरों में घरेलू काम करना पड़ता है। घरेलू काम के संबंध में उनको हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं, जैसे खाना बनाना, नास्ता बनाना, बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल छोड़ कर आना। तात्पर्य यह है कि मासूम बच्चों को इस देश में पर्याप्त रोजगार की सुविधा नहीं है इसलिए उन्हें घरेलू नौकरों की तरह काम करना पड़ता है और महिलाओं को भी इस तरह का काम करना पड़ता है। इसमें उनका शोषण भी होता है। बहुत दिनों से मांग आ रही है क्योंकि यह वर्ग असंगठित है, इनका अपना कोई संगठन नहीं है इसलिए उनको शोषण से मुक्त कराने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जाना चाहिए। डा० बापू कालदाते ने जो विधेयक रखा था उसका समर्थन विद्वान सदस्य श्री राम चन्द्र विकल जी ने किया है और श्री ईश दत्त यादव ने भी किया है। इस सिलसिले में इस वर्ग के लिए बहुत से स्टडी ग्रुप्स ने आकलन भी किया और उसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास है। इन सब की ओर डा० कालदाते ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं इसके पूर्व कि अपनी बात कहूं मैं इस सदन का ध्यान संविधान में जो व्यवस्था है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संविधान के चौथे भाग में जो निदेशक सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी है इसमें अनुच्छेद 39—ङ और 39—एफ को आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं। इसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि छोटे-छोटे बच्चे जो हैं उनके उपकार के लिए हमारी सरकार की ओर से प्रावधान किये जायें। 39—ङ में कहा गया है :—

Article 39(e) says that the health and strength of workers men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength.

Article 39(f) says that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.

मेरा यह तर्क है कि इन छोटे-छोटे बच्चों का शोषण होता है और इस शोषण का मुकाबला करने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। आज ही सदन में अतारांकित प्रश्न श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर ने उठाया था। अतारांकित प्रश्न संख्या 1358 में बाल श्रमिकों और घरेलू बाल श्रमिकों के शोषण के संबंध में प्रश्न किया गया है। श्री राम विलास पासवान जी ने उसका उत्तर दिया है कि घरेलू बाल श्रमिकों के शोषण और उन्हें परेशान किए

जाने के बारे में कोई विशेष तथा वास्तविक सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस मामले में कोई वास्तविक जनगणना या सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण घरेलू नौकरों के रूप में बालक काम कर रहे हैं। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश में सामाजिक परिस्थितियों और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जो गरीबी है उसके कारण इस देश के बालकों को घरेलू नौकर के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को इस संबंध में विशिष्ट रूप से सर्वेक्षण कराना चाहिए। बहुत सी संस्थाओं ने इसका सर्वेक्षण कराया है। कर्नाटक की सरकार ने कराया है और केन्द्र की सरकार ने भी सर्वेक्षण कराया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध इसलिए नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार के स्तर पर कोई जनगणना नहीं कराई गई है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में सर्वेक्षण निश्चित रूप से कराया जाए और कोई सर्वेक्षण कराया जाएगा तो सारी जानकारी भी हो जाएगी कि बालक घरेलू नौकरों के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी क्या हालत है और किन कठिन परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ता है और उसके बाद ही उनकी परिस्थितियों के संबंध में और आर्थिक सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं उन पर विचार किया जा सकता है।

इसी प्रश्न के अंतिम भाग में यह पूछा गया था कि क्या सरकार अमानवीय व्यवहार और नियोजकों द्वारा उन्हें कम वेतन दिये जाने से उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू बाल नौकरों के नियोजन को विनियमित करने के लिए विचार करेगी। इसके उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि बालकों का घरेलू नौकरों के रूप में नियोजन बहुत फैला हुआ है। तथा असंगठित क्षेत्र है और इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए पद्धति तैयार करना प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। शायद इसी कारण से पिछली सरकार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया और डा० बापू कालदाते जी को यह विधेयक लाना पड़ा। इस गैर-सरकारी विधेयक को लाकर हमारे समाज का एक बहुत ही कमजोर वर्ग है उसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का ध्यान [illegible] देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। माननीय सदस्य ने लिखित है कि [illegible] है कि इस प्रकार विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है, इस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास सभी निधि हैं और वही सरकार कानून बनाकर हमारे इन गरीब बालकों को सहारा देकर देश के राष्ट्र निर्माण के काम में लगा सकती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें सरकारी प्रश्न संख्या 1300 के अतिरिक्त भाग (ग) के संबंध में पुनर्विचार करना चाहिए। विशिष्ट रूप से जो वर्तमान सरकार है वह गरीब की झोपड़ियों से जुड़ी हुई है और बहुत [illegible] के [illegible] लिए [illegible] है। हमारे मंत्री जी भी हमारे [illegible] जो गरीब वर्ग है उसके प्रति चिंतित रहते हैं। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि डा० बापू कालदाते जी का जो यह विधेयक है उसके संबंध में उत्तर देते समय हम लोगों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। मैं इस बात को भी मानता हूं कि डा० कालदाते जी का जो विधेयक है उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं। स्वयमेव यह विधेयक पूर्ण नहीं हो सकता है। लेकिन कम से कम इसके द्वारा घरेलू जो नौकर हैं, बालक श्रमिक हैं, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो इसके संबंध में सदन के जो विचार हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि बालक ही हमारे राष्ट्र के भावी नागरिक हैं, हमारे राष्ट्र के भावी राष्ट्र निर्माता हैं। इसलिए उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार कानून बनाकर के, कानूनों को नियमित करके उनकी हालत में सुधार कर सकती हैं। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और सरकार

को इस संबंध में स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिये ताकि भविष्य में हम इनके प्रति आशावान हो सकें और इस देश में जो लाखों हैं उनको घरों में नौकरी करने के लिए बाध्य न होना पड़े। हमारे देश में गरीबी है। इस देश में आधे से ज्यादा आबादी जो है वह गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। उनके पास साधन नहीं हैं, शिक्षा के साधन नहीं हैं, इसलिए मजबूर होकर उन्हें छोटे-छोटे काम करने पड़ते हैं। इसलिए वास्तविक रूप से सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि भविष्य में उन्हें इस प्रकार के काम को करने को मजबूर न होना पड़े। लेकिन जब तक बालश्रम मजबूरी है तब तक कम से कम उनकी स्थिति में सुधार करने का काम करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि मंत्री जी जब अपना उत्तर देंगे तो हम लोगों की भावना को स्वीकार करने का काम करेंगे।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) जनाब वाइस चेयरमैन साहब, हमारे सीनियर मेंबर जनाब बापू कालदाते ने जो डोमेस्टिक वर्कर्स कंडीशंस आफ़ सर्विस बिल 1989 पेश किया है, मैं इसकी भरपूर ताईद करता हूं। यह बिल हमारे देश के लिए वक्त की अहमतरीन जरूरत थी। हमारे मुल्क में लाखों मर्द, औरतें और बच्चे ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वर्कर की हैसियत से काम करते हैं और उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। न उनकी कोई शरारत मुलाजमत है न कोई सर्विस कंडीशन है। इस वजह से इनका कोई पूरसाने हाल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस किस्म का बिल हमारे देश में लाया जाय ताकि इनके सर्विस कंडीशन में ताय्युन हो सके। देखा यह गया है कि यह वर्कर हर किस्म का घरेलू काम करते हैं। जैसे इस बिल के स्टेटमेंट आफ़ आब्जकटिब्ज एंड रीजस में कहा गया है, यह बिलकुल सच है कि यह लोग घर के मुखतलिफ़ काम करते हैं। ये खाना पकाते हैं, घर की सफ़ाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, खिलाते भी हैं और बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। ऐसे मुलाजमीन खासतौर पर 24 घंटे में 18 घंटे तक काम करते हैं। मगर इसके बावजूद न तो इनको वेजेज का ताय्युन है और न उनको तामील दी जाती है। उनको हफ्ते में एक दफ़ा न तातील दी जाती है और न उनके बच्चों को कोई सहूलियत मुहैया की जाती है। इस वजह से यह जरूरी है कि उसके वक्त का ताय्युन किया जाए। जैसे हमारे कारखानों के मजदूर 24 घंटों में से सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं। इसी तरह से हमारे सिरकती कर्मचारी जो खेत में काम करते हैं उनके लिए भी वक्त का ताय्युन किया गया है। लेकिन इनके लिए कोई वक्त का ताय्युन नहीं किया गया है। इस वजह से यह जरूरी है कि इनके लिए भी वक्त का ताय्युन किया जाए। ये 8 घंटे से ज्यादा काम न करें और हफ्ते में एक दफ़ा इनको तातील मिले ताकि इनकी जो घरेलू जरूरियात हैं उन जरूरियात को ये पूरा कर सकें। और फिर इनके लिए मजदूरी क्या चाहिए? कहीं जगहों पर देखा गया है कि सिर्फ खाने पर इस किस्म की मुलाजमत करते हैं और एक पैसा भी अलावा तनख्वाह उनको नहीं दिया जाता है। कितने अफ़सोस की बात है। आज हमारे मुल्क को आजाद हुए 42 साल हो रहे हैं मगर इन 42 सालों में इनको क्या उजरत होनी चाहिये, क्या मजदूरी होनी चाहिये, क्या पेंशन होनी चाहिये, इसका ताय्युन नहीं किया गया है। जरूरत इस बात की है कि इसका ताय्युन किया जाए, क्या मिनिमम वेज होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि उनके लिए न तो ग्रेच्युटी का इन्तजाम है, न प्रोविडेंट फंड का इन्तजाम है और न बोनस का इन्तजाम है, न उनके लिए मखसते हैं। जिस तरह से कारखानों में हमारे मजदूर काम करते हैं उनके लिए तमाम फेसिलिटीज रखी गई हैं, डोमेस्टिक वर्करज को ही इन से क्यों महरूम रखा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं यह भी अहमतरीन जरूरत है उनके लिए, इसलिए उनको ग्रेच्युटी दी जाए, उनको बोनस दिया जाए, उनके प्रोविडेंट फण्ड वगैरह का इन्तजाम किया जाए। सब से बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे दुनियां तरक्की करती जा रही है, वैसे वैसे हमारे मजदूरों का ख्याल रखा जा रहा है। सब से अहम बात यह है कि उनकी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखें। चाहे कोई भी हकमत हो अपने शहरियों

की सेहत का ख्याल रखना और अच्छी से अच्छी मेडिकल फेसिलिटीज देना उसका फर्ज है मगर यह इन्तेहाई अफसोस की बात है कि यह जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, घरों में काम करते हैं उनकी सेहत का ख्याल रखने का कोई इन्तजाम नहीं है । उनको किसी किस्म की मेडिकल फेसिलिटी नहीं है । उनके जो मालिक होते हैं उनके रहमोकरम पर यह डोमेस्टिक वर्कर अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं । मास्टर चाहे तो उनका इलाज किसी माली हकीम या वैद्य से करा ले मगर मास्टर न चाहे तो बेचारे घुट घुट कर जिन्दगी गुजार देते हैं और अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं । इस वजह से यह जरूरी है कि उनके लिए मेडिकल फेसिलिटीज का इन्तजाम हो । दूसरी बात यह है कि उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के लिए किसी किस्म की तालीम का इन्तजाम नहीं होता है । होता यह है कि डोमेस्टिक वर्कर का बच्चा पढ़ नहीं पाता है इसलिए वह भी डोमेस्टिक वर्कर बन जाता है और अपने मां-बाप की तरह वह भी किसी के घर में गुलामत अख्तियार कर लेता है । कितने अफसोस की बात है । आज हर तरफ जब तालीम का दौर दौरा है, हर हकूमत यह चाहती है, हर सोसायटी यह चाहती है कि वहां के लोग पढ़े लिखे हों, अपने में जागृति पैदा करें तो मैं पूछना चाहता हूं कि डोमेस्टिक वर्कों का यह सब सहूलियतें क्यों मुहैया न हों । इस वजह से यह जरूरी है कि डोमेस्टिक वर्करों के बच्चों की तालीम के लिए खास इन्तजाम किया जाए । मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि हमारे यहां सियासी माहौल बदल गया है और एक ऐसी हकूमत आई इस वक्त हमारे देश में आई है जिससे हिन्दुस्तान के करोड़ों आवाम की उम्मीदें वाबस्ता है । हमारी खुशकिस्मती है हमारे वजीरे लेबर खुद एक नौजवान आदमी हैं और वह उमंग रखते हैं कि आवाम की खिदमत करें और आवाम भी आपसे-तवक्को किये हुए है । इस वजह से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आवाम की उमंगों को पूरा करते हुए खास तौर पर दिलचस्पी लेते हुए मुल्क की अहम-तरीन जरूरतों को महसूस करते हुए बापू कालदाते जी ने जो बिल लाया है आप खुद इस बिल को अपना लीजिये और अपने जवाब में इस बात का यकीन दीजिये कि यकीनन हम डोमेस्टिक वर्करों की सर्विस कंडीशंस को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सर्विस कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए अनकरीब बिल लाने वाले हैं ताकि हमारे डोमेस्टिक वर्कर इत्मीनान की सांस ले सकें । इन चन्द अल्फाज के साथ, आपने जो मुझे टाइम दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

†[شری محمد خلیل الرحمان (اندھرا پردیش): جناب وائس چیرمین صاحب ہمارے سینیر ممبر بابو کالداتے نے جو دومیسٹک ورکرس کنڈیشن آف سروس بل ۱۹۸۹ پیش کیا ہے - میں اس کی بھی تائید کرتا ہوں - یہ بل ہمارے دیش کیلئے وقت کی اہم ترین ضرورت تھی - ہمارے ملک میں لاکھوں مرد عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو دومیسٹک ورکر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں اور انکا کوئی مستقبل نہیں ہے - نہ ان کی کوئی شرائط ملازمت ہے - نہ کوئی سروس کنڈیشن ہے - اس وجہ سے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے - اور ضرورت اس بات کی ہے - کہ اس قسم کے بل ہمارے دیش میں لایا جائے تاکہ ان کے سروس کنڈیشنس کا تعین ہو سکے - دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ ورکر ہر قسم کا گھریلو کام کرتے ہیں - جیسے امر بل میں کے اسٹیٹمنٹ آف آبجکٹیوس اینڈ ریجنس میں کہا گیا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے کہ یہ لوگ گھر کے مختلف کام کرتے ہیں - یہ کھانا پکاتے ہیں - گھر کی صفائی کرتے ہیں - کپڑے دھوتے ہیں - کھلاتے پلاتے ہیں اور بچوں کو اسکول لے جاتے ہیں - ایسے ملازمین خاص طور پر ۲۴ گھنٹے میں ۱۸ گھنٹے کام کرتے ہیں - مگر اسکے باوجود نہ تو انکے ویجیز کا تعین ہے اور نہ انکو تعطیل دی جاتی ہے - انکو ہفتے میں

†[ ]Transliteration in Arabic script.

کہنا چاہتا ہوں - یہ بھی اہم ترین ضرورت ہے ان کیلئے - اسلئے انکو گریجیوٹی دی جائے انکو بونس دیا جائے - انکے پراویڈنٹ فنڈ وغیرہ کا انتظام کیا جائے - سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جارہی ہے ویسے ویسے ہمارے مزدوروں کا خیال رکھا جا رہا ہے - سب سے اہم بات یہ ہے کہ انکی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں- چاہے کوئی بھی حکومت ہو اپنے شہریوں کی صحت کا خیال رکھنا اور اچھی سے اچھی میڈیکل فیسیلٹی دینا انکا فرض ہے - مگر یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ڈومیسٹک ورکرس ہیں گھروں میں کام کرتے ہیں - ان کی صحت کا خیال رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے- انکو کسی قسم کی فیسیلٹی نہیں ہے - انکے جو مالک ہوتے ہیں انکے رحم و کرم پر یہ ڈومیسٹک ورکر اپنی زندگی گزار رہے ہیں - ماسٹر چاہے تو انکا علاج کسی معمولی حکیم یا ویدھ سے کرا لے مگر ماسٹر نہ چاہے تو بےچارے گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں - اس وجہہ سے یہ ضروری ہے کہ انکے لئے میڈیکل فیسیلٹی کا انتظام کیا جائے- دوسری بات یہ ہے کہ انکے جو بچے ہوتے ہیں - انکے بچوں کیلئے کسی قسم کی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا ہے - ہونا یہ ہے کہ ڈومیسٹک ورکر کا بچہ پڑھ نہیں پاتا ہے - اس لئے وہ بھی ڈومیسٹک ورکر ہی بن جاتا ہے - اور اپنے ماں باپ کی طرح وہ بھی کسی کے گھر میں ملازمت اختیار کر لیتا ہے - کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہر طرف جب تعلیم کا دور دورہ ہے ہر حکومت چاہتی ہے ہر ایک دفعہ نہ تو تعطیل دی جاتی ہے - اور نہ انکو بچوں کو کوئی سہولیت مہیا کی جاتی ہے اس وجہہ سے یہ ضروری ہے کہ وقت کا تعین کیا جائے - جیسے ہمارے کارخانوں کے مزدور ۴۸ گھنٹوں میں صرف آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں ؛ اسی طرح ہمارے زراعتی مزدور بھی کھیت میں کام کرتے ہیں - ان کے لئے بھی وقت کا تعین کیا گیا ہے - لیکن ان کیلئے کوئی وقت کا تعین نہیں کیا گیا ہے- اس وجہہ سے ضروری ہے کہ ان کے لئے بھی وقت کا تعین کیا جائے - یہ ۸ گھنٹے سے زیادہ کام نہ کریں اور ہفتے میں انکو ایک دفعہ تعطیل ملے تاکہ انکی ضروریات ہیں ان ضروریات کو یہ پورا کر سکیں - اور پھر اسکے بعد انکی مزدوری کیا ہونی چاہئے - کئی جگہیں پر دیکھا گیا ہے کہ صرف کھانے کے عوض پر اس قسم کی ملازمت کرتے ہیں- اور ایک پیسہ بھی بطور تنخواہ ان کو نہیں دیا جاتا ہے - کتنے افسوس کی بات ہے - آج ہمارے ملک کو آزاد ہوئے ۴۲ سال ہورہے ہیں مگر ان ۴۲ سالوں میں ان کی کیا اجوت ہونی چاہئے - کیا مزدوری ہونی چاہئے کیا ویج ہونی چاہئے - اسکا تعین نہیں کیا گیا ہے - ضرورت اس بات کی ہے کہ اسکا تعین کیا جائے - کیا منی مم ویج ہونا چاہئے- ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے لئے نہ تو گریجیوٹی کا انتظام ہے نہ پراویڈنٹ فنڈ کا انتظام ہے اور نہ بونس کا انتظام ہے - نہ ان کیلئے رخصتیں ہیں - جس طرح کارخانوں میں ہمارے مزدور کام کرتے ہیں انکے لئے تمام فیسیلٹیز رکھی گئی ہیں - ڈومیسٹک ورکرس کو ہی ان سے کوسوں محروم رکھا گیا ہے - میں یہ

[شری محمد خلیل الرحمان

سوسائٹی چاہتی ہے کہ وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہوں - اپنے میں جاگرتی پیدا کریں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ومیسٹک ورکروں کو یہ سب سہولتیں کیوں مہیا نہ ہوں - اس وجہہ سے یہ ضروری ہے کہ ڈومیسٹک ورکروں کے بچوں کی تعلیم کیلئے خاص انتظام کیا جائے مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی ماحول بدل گیا ہے - اور ایک ایسی حکومت آج اس وقت ہمارے دیش میں آئی ہے جس سے ہندوستان کے کروڑوں عوام کی امیدیں وابستہ ہیں - ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے وزیر لیبر خود نوجوان آدمی ہیں - اور وہ اسلگ رکھتے ہیں - کہ عوام کی خدمت کریں اور عوام بھی آپ سے توقع کئے ہوئے ہے - اس وجہہ سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ عوام کی امنگوں کو پورا کرتے ہوئے خاص طور پر دلچسپی لیتے ہوئے ملک کی اہم ترین ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے باپو کالداتے جی نے جو بل پیش کیا ہے آپ کو خود اس بل کو لانا چاہئے - اور اپنے جواب میں اس بات کا یقین دلانے کہ یقیناً ڈومیسٹک ورکرس کی سروس کنڈیشنس کو بہتر سے بہتر بنانے کیلئے سروس کنڈیشن ریگولیٹ کرنے کیلئے عنقریب بل لانے والے ہیں - تاکہ ہمارے ڈومیسٹک ورکر اطمینان کا سانس لے سکیں - ان چند الفاظ کے ساتھ آپ نے جو مجھے ٹائم دیا اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں -]

डा० रत्न कर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे सदन के माननीय सदस्य डा० बापू कालिदाते ने घरेलू कर्मकार (सेवा की शर्तें) विधेयक 1989 जो इस सदन में प्रस्तुत किया है उस संदर्भ में आप ने विचार व्यक्त करने के निमित्त मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं ।

डा० बापू कालिदाते जी ने इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का कथन करते हुए कहा है कि :—

"घरेलू और अन्य व्यक्तिगत कार्य करने के लिए नौकरानी अथवा नौकर के रूप में लाखों घरेलू नौकर कार्य कर रहे हैं । इन घरेलू नौकरों की कार्यदशायें दयनीय और पुराने ढर्रे की हैं । उन्हें दिन में लगभग 18 घंटे कार्य करना पड़ता है । आज तक किसी विधि के अधीन इन कर्मकारों के हितों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । उनको न तो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है और न ही उनके कार्य करने के घंटे नियत हैं । दिन में उनको कोई विश्राम अथवा अवकाश का समय नहीं दिया जाता है । उन्हें उपदान, भविष्य निधि, बोनस, मजदूरी सहित छुट्टी, अवकाश आदि जैसे कोई लाभ भी नहीं दिये जाते हैं । उनके नियोक्ताओं द्वारा उनकी सेवायें पूर्व-सूचना अथवा सुझाव दिये बिना किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।

पूरे देश में घरेलू नौकर बेहतर सेवा शर्तों के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं । अतः उनकी सेवाशर्तों को विनियमित करना अत्यंत आवश्यक है ।"

इस निमित्त यह विधेयक लाया गया है।

महोदय, हमारे देश मे समानता की बात की जाती है और घरेलू नौकर जिस व्यक्ति के घर में काम करता है, देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां जब वह देखता है कि उसे झाड़ू लगाना पड़ रहा है, उसे बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, उसे गन्दे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, उसे खाना बनाने के काम में लगना पड़ रहा है, घर में पोंछा लगाना पड़ रहा है और भी इस तरह के काम करने पड़ रहे हैं और उस समय जब वह देखता है कि मालिक का बच्चा या बच्ची, जिसके घर में वह काम करता है, वह

सकेंगे कर स्कूल जा रहा है, वस्त्र लटका कर, जब वह देखता है कि उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं, जब वह देखता है कि सारी अच्छी से अच्छी सुविधायें उसको मिलती हैं जब वह देखता है कि हम भी इंसान हैं और जिन मालिक के यहां हम काम कर रहे हैं उनके बच्चे भी शिशु हैं, इंसान हैं और हमको वह नौकर नहीं मिल रहा है बल्कि हम सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शोषण करा रहे हैं, उपेक्षा के शिकार बन रहे हैं तो अहम् कुछ उसके मन में एक ग्लानि होती है, एक उपेक्षा की भावना उसके दिल में धधकता है और उस धधक का आग को लिये हुये, अपनी समानता की पीड़ा में ग्रसित होकर वह काम करता है चाहे 12 घंटे काम करे, चाहे 18 घंटे या 10 घंटे काम करे, उसे मिल तो नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदना के आधार पर हर व्यक्ति के लिये शिक्षा अनिवार्य हो, हर शिशु के लिये अवश्य हम बचपन बाल्य को साक्षर करने की व्यवस्था करें । उनके लिये यह हो कि बिना नौकरी किये हम खाना पा सकते हैं, हम रहने को घर पा सकते हैं। बालक के जो गार्जियन हैं, मां बाप हैं वे उसे नौकरी के लिये भेजते हैं और उन व्यवस्थाओं का अनायास फायदा शोषण के माध्यम से हमारा जो संपन्न समाज है वह उठाता है। आज तक उस असमानता को पूरा करने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था कानून के माध्यम से नहीं की गयी कि उसे अपने अधिकार मिल सकें । श्रमिक वर्ग के रूप में घरेलू नौकरों को न बराबर, नगण्य अधिकार आपने दे रखे हैं ! संगठित क्षेत्र के मजदूरों को तो आपने सारे अधिकार दिये हैं और घरेलू नौकरों के लिये न कोई नियम है न कानून हैं और इनका भविष्य मालिकों की कृपा पर निर्भर है,

3.00 P.M. जब चाहे मालिक उनको बर्खास्त कर सकते हैं, नौकरी से निकाल सकते हैं। उनकी इच्छा पर उनका जीवन निर्भर करता है । यह घरेलू नौकर अधिकांश अनपढ़ होते हैं, पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, साक्षर होते हों नहीं हैं और सामान्यतः बहुत ही गरीब घरों के जहां भुखमरी की स्थिति होती है, निम्नतर वर्ग के, आर्थिक आधार पर जो निम्न वर्ग हो सकता है, उन घरों से आते हैं और उनके पारिवारिक घरों में जब अभाव होता है तो झगड़ा होता है, खाने का झगड़ा होता है, पहनने का झगड़ा होता है, रहने का झगड़ा होता है।

मां अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकती, छोटे-छोटे बच्चों को रोटी--जो थोड़े बड़े बच्चे हो गये हैं, उनको देना मुश्किल हो गया है, ऐसी विषम परिस्थितियों में गांव से बहुत से बच्चे भाग कर शहरों में पेट की ज्वाला बुझाने के लिये नौकरी करने के लिये आते हैं। वह नये स्थान से अपरिचित होते हैं और रोजी-रोटी की तलाश में उन्हें एक सपने जैसा दिखाई पड़ता है कि शहरों में जायेंगे, तो तुरन्त काम मिल जायेगा।

जब चारों ओर से बंदिश ही होती है, तो कहीं न कहीं मालिक और नौकर के संबंधों शर्त के आधार पर घरों में यह सामान्य स्थिति में नौकर शुरू कर देते हैं और उन्हें नौकरों में विशेषताओं में हम स्वतंत्र हो गये हैं, लेकिन हमारे घरेलू नौकर स्वतंत्र नहीं है । जब वह देखता है कि मालिक के बच्चों को और स्वयं मालिक अच्छे-अच्छे पकवान खाता है और उसे रात में बेडाईन बिन के बिना समय के बासी पड़ा हुआ भोजन मिलता है, जब वह देखता है कि हम तरह-तरह के खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं, लेकिन खुद वह उनका स्वाद नहीं ले सकते हैं, तो कितनी बड़ी उसके भीतर आग धधकती होगी, इस उपेक्षा से और अपमान के वह जल उठता है और उस आग के बीच में उसे काम करना पड़ता है, क्योंकि छोटा आदमी हो, या बड़ा आदमी हो, गरीब हो, मजदूर हो, घरेलू नौकर हो या रिक्शा खींचने वाला हो, कोई भी हो, चाहे बड़े से बड़ा पूंजीपति या संपन्न वर्ग का नागरिक हो, सब की इच्छाशक्ति समान होती है और सब चाहते हैं बराबरी का दर्जा और उस समय जब वह अवहेलित, उपेक्षित और निराश्रित महसूस करता है, तो एक असामाजिक इस तरह की भावना उसके भीतर उत्पन्न होती है और वहीं से चोरी करने की आदत उसमें शुरू हो जाती है,

इस संदर्भ में एक राज्य सभा में पूछे गये प्रश्न का हवाला मैं देना चाहूंगा। राज्य सभा में एक प्रश्न पूछा गया था, तो संतोष बागरोड़िया जी ने वह प्रश्न पूछा था।

"Will the Minister of Home Affairs be pleased to state what is the number of murders and thefts committed by domestic servants in Delhi during the last three years yearwise and during the last three months monthwise?"

इसका उत्तर गृह मंत्री ने दिया है कि 1987 में चार मर्डर हुये, 1988 में तीन मर्डर हुये, 1989 में चार मर्डर हुये, दिसम्बर, 1989 तक एक मर्डर हुआ और चोरी की घटनायें 1987 में 257 – यह दिल्ली की बात हो रही है – 1988 में 293 हुई, 1989 में 349 हुई और दिसम्बर 1989 में 23 हुई।

तो यह इस बात का द्योतक है, इस बात को प्रकट करता है कि घरेलू नौकर जब अपने घर से भाग कर आता है, तो जब वह देखता है कि घर में हमारी बहिन की शादी होनी है, घर में छप्पर चू रहा है, जब वह देखता है कि मेरी मां, मेरा बाप या मेरे घर के बुजुर्ग, मेरा नौजवान भाई घर में वस्त्र के लिये तड़प रहे हैं और जाड़े में ठंडक के बाण सह रहे हैं, तो उसके मन में आता है कि मैं कमाई करने के लिये आया हूं और कुछ न कुछ हमें करना चाहिये और ऐसी स्थिति में वह चोरी की ओर उन्मुख होता है और मालिक की आंख बचा कर के चोरी भी करता है और पैसे लेकर के भाग जाता है। कई जगह, आये दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि नौकरों की मिलीभगत से बड़े-बड़े डाके पड़े हैं। चोरियां होती हैं, हत्यायें होती हैं, इस तरह के समाचार आये दिन अखबारों में छपते रहते हैं। तो उस सायकोलोजी के मूल में जाने की जरूरत है। अगर हम कोई घरेलू कर्मकार विधेयक ला रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक ढंग से, उसका जो मानसिक धरातल है, उसका जो सायकोलोजिकल असर है, उसका अध्ययन कराने के लिये मैं प्रार्थना करूंगा अपने माननीय श्रम मंत्री जी से कि कोई कमेटी या आयोग उस विषय के एक्सपर्ट्स लोगों का बनायें ताकि यह पता लग सके कि उनके भीतर जो आपराधिक मनोवृत्ति, हीन भावना, कुंठा, उपेक्षा और अपने प्रति भयंकर अत्याचार, अनाचार और जो प्रहार होते हैं उसका मूल कारण क्या है? फिर उस आधार पर कोई-न-कोई आयोग गठित कर के इस मामले को सामने लाया जाये। महोदय एक सरकारी सर्वेक्षण किया गया था, सरकारी कामकाज करने वाले खासकर मकान आदि बनाने वाले नौकरों से, घरेलू काम भी लिया जाता है। हैदराबाद में एक सर्वेक्षण से पता चला कि लगभग डेढ़ हजार मजदूरों से बंधुआ मजदूरों की भांति व्यवहार किया जाता है। इनसे 14 घंटे, 16 घंटे काम लिया जाता है। जब तक मालिक सो नहीं जाता है और सबेरे मालिक के उठने से पहले उसे जागना पड़ता है और वे काम करते रहते हैं। उसके रहने के लिये कोई जगह नहीं है। कहीं भी बोरा बिछाकर कम्बल लपेटकर वह सो जाता है। घरेलू नौकरों की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है क्योंकि उनके काम करने का कोई निर्धारित समय नहीं है। उसका प्राइवेटाइजेशन ही है, व्यक्तिगत आधार पर ही काम कर रहा है, सरकारी नियंत्रण उसमें कहीं है ही नहीं। जो जिस शर्त पर चाहे रख सकता है। इसलिये उस को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन खटना पड़ता है। उसको आवास की सुविधा नहीं है, खाने की विधिवत सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है। इस सबसे बढ़कर जो समाज में विद्वेष की भावना फैलाने वाली बात वह होती है कि उसके मन में विद्रोह की भावना जगाती है कि मैं भी इंसान हूं और मालिक का बच्चा भी इंसान है और दोनों में विभेद की वजह से यह भावना जागती है। यही बड़े दुखद और असंतोष का कारण है। मजदूरों के वेतन और काम के घंटे निर्धारित करने के लिये सुझाव दिये जाते हैं। मजदूरों के श्रम के घंटे, उनके वेतन और आवास की व्यवस्था की जा सकती है। शहरों में दुकान के कर्मचारियों को भी यही

स्थिति है। सवेरे जागकर झाड़ू लगाना, दुकान खोलना, यह उनका सुबह का काम होता है। मालिक तो आकर बैठ जायेगा। उसके बाद वह दिन भर, रात रात भर दुकान में काम करता है। जो शरणार्थी बाय होता है वह दिनभर दुकान में काम करता है और रात में वहीं कहीं पर सो जाता है। तो यह बड़ी ही दयनीय और दुखद स्थितियां हैं। इतना ही नहीं रेस्टोरेंट में काम करने वाले बच्चों का बड़ा शोषण होता है। वे ज्यादातर अपने गांव से घर की कठिनाईयों की वजह से भागकर जाते हैं। उनका कोई जीवन नहीं होता है। उनके शरीर से बदबू आती रहती है। एक ही वस्त्र महीनों तक पहने रहते हैं। अगर हम इस वर्ग की उपेक्षा करेंगे तो समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। जिस राष्ट्र का शिशु दबा हुआ होगा, पिछड़ा हुआ और पीड़ित होगा तो उस समाज का उत्थान नहीं हो सकता। हम बच्चों को आने वाले भारत का निर्माता कहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति गटर के कीड़ों की तरह बदतर है। इसलिये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मालिकों की मानसिकता को बदलना चाहिये। मालिक का व्यवहार नौकर के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो और सहृदयता से भरा हुआ हो। उसे महसूस हो कि मालिक दिन भर काम करने के बाद मुझे अपने बच्चों की तरह मानता है। जो शरीफ हैं, मानवता में विश्वास करते हैं, वे लोग अपने नौकर को पहले कपड़ा बनवायेंगे फिर अपने बच्चे को देंगे। वे नौकर को ही घर का मालिक बना देते हैं। नौकर को अपने घर को भूल जाता है और मालिक के घर को अपना घर समझने लगता है... और मालिक से ज्यादा रक्षा वह घर की करता है और अपने मालिक व घर के प्रति ज्यादा वफादार होता है। जो व्यवहार की पवित्रता और ऊंचाई होनी ही चाहिए मालिकों के व्यवहार में। इसके अतिरिक्त मालिकों और नौकरों के बीच जो तनाव पनप रहे हैं, उनको कम करने के लिए घरेलू नौकरों का संगठन होना भी बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में हमने डिसएबल्ड का संगठन बनाया है। कल हम गए थे, जो ज्योतिहीन लोग हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन किया था और उसमें हमको आमंत्रित किया था। उनकी जैन्युअन नीड्स हैं, उनके लिए भी सरकार वचनबद्ध है कि जो डिसएबल्ड लोग हैं, जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, उनके लिए भी कोई न कोई जो सार्वजनिक नागरिकों के लिए उपाय करते हैं, वे तो और दयनीय हैं, उनके ऊपर और ध्यान देने की जरूरत है और वह ध्यान देना चाहिए। उनके निर्माण में जो संगठन बना, उसमें सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनको आगे आना चाहिए और मालिकों और नौकरों के बीच के वैमनस्य को मिटाने के लिए कोई न कोई उनके संगठन का स्वरूप होना चाहिए जहां नौकर अपनी व्यथा कह सके और मालिक की मानसिकता बदलकर उनकी व्यथा को दूर करने का यत्न होना चाहिए। मजदूरी कम मिलती है, डांट-फटकार ज्यादा मिलती है, अपमान और प्रताड़ना ज्यादा मिलती है, नौकर तनाव में काम करते हैं, जो कि मालिकों और नौकरों दोनों के लिए नुकसानदेह है। अगर कोई आदमी टेंशन में रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा। घरेलू कामगारों को संगठित करना आसान काम नहीं है। देशभर में नगरों में, महानगरों में घरेलू नौकरों का जाल बिछा हुआ है, परन्तु उन्हें मौका ही नहीं है कि वे अपना संगठन बना सकें। घर में सेवा करेंगे या संगठन बनाएंगे। मजदूरों का शोषण होता है और किसी ने अगर संगठन आदि बनाने का प्रयास किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और फिर वह संगठन के नाम पर सड़क पर आ जाता है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और दिल्ली में कई बार ऐसे संगठन बने परन्तु शासन पर दबाव डालकर मालिकों ने कानून में अमल नहीं होने दिया। कानून के तहत संगठन आरगेनाइज हो नहीं हो पाए। तो इस बात की जरूरत है कि ऐसे संगठनों को, प्रान्तीय सरकार हो, केन्द्रीय सरकार हो, क्षेत्रीय सरकार हो, जिसका ज्यूरिडिक्शन हो, उसमें उनको मान्यता मिलनी चाहिये और उनको वेतन वृद्धि का भी अधिकार हो, जैसे सरकारी कर्मचारियों को होता है। हर साल उनकी वेतन-वृद्धि होनी चाहिए और उन्हें ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए और स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। जो हमारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत प्रौढ़ शिक्षा

केन्द्रों में या इनमें कहां एक मोहल्ले में सैकड़ों नागरिक हैं, उनको ढंग से एक या डेढ़ घंटे शिक्षित किया जाए ताकि वह शिक्षित हो सकें और अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी उनको होनी चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और दिल्ली में जब-जब घरेलू मजदूरों का संगठन बनाने की बात आई, तो किसी न किसी बड़े नेता ने उनका साथ नहीं दिया और वह संगठन नहीं बन पाया। इसलिए उस संगठन को—संघे शक्ति कलयुगे, एकता में ही शक्ति है और संगठन बड़ी से बड़ी चीजों को मनवा सकते हैं—उनका संगठन बनवाने के लिए लेबर मिनिस्ट्री काम करे। इन संगठनों को मजदूरों को दिए जाने वाले अधिकार मिलने चाहिए। 1981 में कैथोलिक बिशप्स कान्फ्रेंस ने नौकरों की स्थिति समझने के लिए सर्वेक्षण किया था। उसका एक प्रतिवेदन भी प्रधान मंत्री को दिया गया था और घरेलू नौकरों की सेवा-सुरक्षा के लिए कदम उठाने की उस प्रतिवेदन में सिफारिश की गई थी और कहा गया था कि उनके लिए कानून बनाया जाना चाहिए ताकि इनको शोषण से बचाया जा सके। इनका न्यूनतम वेतन निश्चित होना चाहिए। आन्ध्र में घरेलू नौकरों का वेतन 120 रुपए है। लखनऊ में उन्हें पचास से साठ रुपये मिलते हैं और दिल्ली में उनका वेतन 100 रुपये है। अब आज के इस महंगाई के जमाने में 100 रुपये में या 50-60 रुपये में कोई क्या गुजारा करेगा। तो सर्वेक्षण की रिपोर्ट मैं बता रहा हूं। मैं तो अपने यहां काम करने वाले घरेलू नौकरों को अपने बच्चों की तरह रखता हूं। मैं उन्हें अपने बच्चों से बढ़कर मानता हूं और इतना अधिकार देता हूं, हमारे यहां एक नेपाल का नौकर है जो पंद्रह दिन की छुट्टी लेकर अपने घर गया लेकिन वह दूसरे ही दिन लौट आया। अगर मालिकों का व्यवहार ठीक हो जाए और बच्चों को यह महसूस होने लगे कि इस घर के मालिक हम हैं और मालिक के बच्चों में और हम में कोई भेद नहीं है तो वह नमकहराम नहीं होता है, नमकहलाल होता है। वह उस नमक की हलाली करेगा और पूरी निष्ठा और आस्था के साथ वह उस पर घर को अपना मानकर परिवार की सुख-सुविधा में जुट जाएगा।

सामान्यतः घरेलू नौकरों के प्रति मालिक लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो खुद जो खाना खाते हैं वह उन्हें नहीं देते, कपड़ा फटा-पुराना, अपने बच्चों का उतारा हुआ देते हैं जो पहनने के लायक नहीं होता है या बिस्तरा उनको ऐसा देते जो भिखारी का हो। तो यह सब सामान्य चीजें हैं और इनके लिए पूरी मानसिकता को बदलने की जरूरत है।

भूख से बचने के लिए, जिंदगी जीने के लिए ये बच्चे आते हैं और मालिक अपनी सेवा शर्तें, अपने मालिक के सामने नहीं रख पाता है कि हमारी ये शर्तें हैं। वह बुलाया जाता है तो आता है काम करता है, चला जाता है। जैसे पहले ही कहा है कि उसका शोषण होता है। वह गरीबी और मालिक की डांट खाता है। भूखे पेट सोने के बाद जब उसको किसी घर में नौकरी मिल जाती है तो वह मालिक के प्रति अहसानमंद महसूस करता है। उसमें अपने मालिक का विरोध करने का मारल बूस्ट नहीं होता है। उसका मनोबल गवाही नहीं देता है कि जहां हम सड़क पर सो रहे थे, खाने को नहीं मिल रहा था, कपड़ा नहीं था, वहां मालिक ने हमको खाना दिया, कपड़ा दिया। तो वह अपनी आवश्यकताओं, जरूरतों के लिए एजुकेटेड नहीं है, उसकी शिक्षा उसको नहीं है कि हमारे क्या हक हैं, क्या अधिकार हैं।

देखा ऐसा गया है कि घरेलू नौकर कम मजदूरी के बावजूद भी अपने मालिक के पास आजीवन रह जाते हैं और मालिक भी उनके ऊपर अपने घर के प्राणियों से ज्यादा विश्वास करते हैं और वफादार नौकर किसी वफादार दोस्त से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वह मित्र की तरह, सेवक की तरह, मंत्री की तरह और खुद संरक्षक की तरह पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में रखता है और जब नैतिक मूल्य गिरते हैं माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब

सड़कों पर खून बहता है, ऐसे ही घरेलू नौकर असंतोष, अभाव, पीड़ा, घृणा, उपेक्षा से पीड़ित होकर विद्रोही बनते हैं और वहीं उनके हाथ में कलम होनी चाहिए वहां वे देखते हैं कि पिस्टल चलाने से, छुरा चलाने से, चोरी करने से, आवारागर्दी करने से नाजाइज शराब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने से और पाकेट मारने से, बहुत कुछ एक साथ हासिल होता है । रिस्क लेना पड़ता है, धन हासिल हो जाता है तो वे उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं ।

तो समाज में अपराधीकरण कम करने के निमित्त यह आवश्यक है और नई पीढ़ी को आवारा होने से बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि घरेलू नौकरों के लिए कोई न कोई मानदंड सरकार की ओर से निर्धारित होना चाहिए और अपराधी प्रवृत्तियां जो पनपती हैं इन घरेलू नौकरों के बीच में, जो विश्वासघात करने की उनकी आदत हो जाती है, और वे नौकरी करते-करते चोरियां करने लगते हैं जिसका मालिक को शुरू में पता नहीं चलता लेकिन जब बड़ी चोरी होती है और पता चलता है कि गहने गए, सब कुछ लापता गया, कर्मचारी मर्डर करके मालिक, मालकिन को लूटकर चंपत हो जाते हैं क्रिमिनल्स की सहायता से, तब इन बड़ी चोरियों के बाद पता चलता है कि उनकी घर के नौकर से मिलीभगत थी ।

तो इस अपराधी प्रवृत्ति को समाज में रोकने के लिए भी मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से सरकार से, लेबर मिनिस्टर से कि कड़े कदम उठाए जाने चाहिए । जो शोषण के शिकार हमारे नौकर हैं, कम तनख्वाह, अनिश्चित भविष्य असुरक्षा, चिकित्सा सुविधा का अभाव, शिक्षा और मनोरंजन आदि के अभाव में ये बच्चे बिगड़ते हैं और गरीबी, दरिद्रता, बेरोजगारी इन्हें विवश करती है कि ये दबकर, पिसकर, बंधुआ मजदूर बनकर वहीं नौकरी करते रहें । जो घरेलू नौकर हैं, वे जो कुछ काम करते हैं उसका फायदा सारे समाज को होना चाहिए । सब अपने आप अपना काम नहीं कर पाते हैं, सहायता के लिए उनको रखते हैं । ऐसी स्थिति में उनकी सुख सुविधा और मानसिक संतोष के लिए उन्हें इंसान की जिंदगी जीने देने के लिए हमें निश्चित रूप से ऐसे काम करने चाहिए जिससे घरेलू नौकर यह महसूस कर सकें कि हम परिवार की अभिन्न इकाई और अंग हैं ।

1983 में दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क ने एक सर्वेक्षण किया था, उसके अनुसार दिल्ली में घरेलू नौकरों का वेतन 88 रुपये था, महाराष्ट्र में 80 रुपए था, तमिलनाडु में 62 रुपए था, कर्नाटक में 36 रुपए था, केरल में 25 रुपए था और बिहार में 29 रुपए था लेकिन अब समय बदलना जा रहा है । पैसे की कीमत घटती जा रही है । इसलिए एक चेतना जगी है घरेलू नौकरों में कि नौकरी तो हम करते हैं, खाना, कपड़ा, रहने की जगह हम को मिलती है लेकिन हम अपने परिवार को छोड़कर, उनकी सुख-सुविधाओं के लिए धन कमाने आए हैं इसलिए उनकी इच्छा है कि हम अधिक से अधिक धन कमाएं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और इसके साथ ही हम समाज में कुछ सम्मान हासिल करके अपनी पारिवारिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें ।

माननीय बापू कालदते जी ने घरेलू कर्मकार विधेयक 1989 प्रस्तुत किया इस सदन में, जिस पर हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं । उसमें जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की हैं, उसमें यह है कि (क) घरेलू कर्मकार की दशा में तीन मास, जो दो वर्ष से अन्यून की अवधि तक निरंतर सेवा में रहे हों और (ख) अन्य घरेलू कर्मकारों की दशा में दो मास । घरेलू कर्मकार अधिनियम के प्रारंभ में, पूर्व व पश्चात, एक वर्ष की अवधि तक निरंतर सेवा में रहा हो, उसकी सेवाएं नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से समाप्त कर दी जाती हैं अथवा स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है, ऐसे में उनकी मृत्यु हो जाती है । घरेलू कर्मकार की जब मृत्यु होती है तो उस की मृत्यु के बाद जो सुविधाएं पेंशन आदि सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितों को मिलती हैं, वह सब घरेलू नौकरों के आश्रितों को भी मिलनी चाहिए । वह

जबर्दस्ती तो निकाल नहीं दिया गया है ? वह सेवा करना चाहता है लेकिन मालिक अपनी शर्तों पर सेवा कराना है और वह फिर निकाल दिए जाने के बाद दर-दर की ठोकर खाए क्योंकि एक जगह से हटने के बाद उनका ठिकाने खत्म हो जाता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमको घरेलू कर्मचारों के अवकाश के बारे में जो सुविधाओं की मांग की गई है, लगातार 24 घंटे उनसे काम लिया जाता है । तो इसमें यह मांग की गई है कि 12 दिन आकस्मिक छुट्टी, 21 दिन बीमारी की छुट्टी और 11 दिन की अवधि के लिए एक दिन की दर से उपार्जित छुट्टी दी जाए ।

उसे चेंज करने के लिए अपने रूटीन, अपने दैनिक कार्य को परिवर्तित करने के लिये और फिर मौज मनाने के लिये जैसे हम लोग शनिवार, इतवार को छुट्टी करते हैं तो उसमें घरेलू नौकर ने क्या अपराध किया है कि एक दिन घर के मालिक लोग काम खुद करें और एक दिन की छुट्टी उसे आराम करने के लिए कम से कम एक हफ्ते में । इसकी भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । उनका एक निरीक्षक होना चाहिये और जो काम करने वाले गरीब बच्चे हैं निरीक्षक उनका पूरा इन्तजाम रखें और उनकी अवहेलना कोई न हो । इसके साथ ही उन्हें जबरदस्ती दंडित न किया जाये । कभी-कभी प्रहार तक लोग कर देते हैं, यहां तक कि उनको प्रताड़ित करते हुये केवल हाथ से प्रहार नहीं करते हैं, बल्कि कड़ी से कड़ी सजा देते हैं ताकि वे दब करके काम करते रहें । इन चीजों को रोकने की जरूरत है और जो सरकार आयी है, वह गरीबों के लिये, गरीब से गरीब व्यक्ति जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है उनके लिये काम करने के लिये प्रतिबद्ध है । ऐसी स्थिति में जब आप गरीबों के लिये काम कर रहे हैं तो गरीब बच्चे जो हैं, जो दूध के लिये तरस रहे हैं, जो वस्त्र के लिये तरस रहे हैं, जो अन्न के लिये तरस रहे हैं, जो शिक्षा की ज्योति के लिए तरस रहे हैं, जो तरस रहे हैं अपने मानसिक धरातल में । अपने जो गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, मां-बाप लोग हैं उनकी उपेक्षा, दयनीय स्थिति और उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिये तरस रहे हैं और खुद विवश हो करके फिर बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं इंडस्ट्रीज में भी ।

हमारे बनारस में गलीचा बनाने का काम होता है और उनका एक डेलीगेशन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि बच्चों की उंगलिया इतनी मुलायम हैं कि वे जल्दी से जल्दी गलीचा बुनते हैं । इसलिये उनको 14 वर्ष तक के बच्चों को काम करने के लिये छूट दी जाये सरकार की ओर से । उन्हें मैंने पलायित कर दिया और इस सदन में मैंने कहा कि बच्चा, बच्चा होता है, वह भारत के भविष्य का नागरिक होता है, चाहे झोंपड़ी में रहने वालों का बच्चा हो, चाहे महलों में रहने वालों का बच्चा हो, सबको शिक्षा, सबको जीवन की सुरक्षा, सबको स्वास्थ्य चिकित्सा और सबको भविष्य में अपनी योग्यता अनुरूप प्रतिस्पर्द्धा करके अपने अनुरूप समाज में अपना स्थान बनाने की व्यवस्था होनी चाहिये । इन व्यवस्थाओं के मध्य में मैं चाहूंगा कि डा बापू कालदाते ने प्राइवेट मैम्बर बिल आज इस सदन में प्रस्तुत किया है, इस सदन में लाये हैं उस पर गम्भीरतापूर्वक सरकार ध्यान दे --

"समाज में स्वानों को मिलता अन्न वस्त्र
भूखे बालक अकुलाते हैं ।

मां की छाती से चिपट-चिपट वे
अपनी क्षुधा बुझाते हैं ।

मां की छाती में दूध भी नहीं होता है, वह मां का खून पीते हैं, वह सोचता है कि दूध पी रहा हूं, जबकि वह मां का दूध नहीं पीता है, बल्कि उस भ्रम में वह जिन्दा रहता है । उस भ्रम को तोड़ने के लिये हमारे शिशुओं को जो घरों में काम कर रहे हैं, उन्हें इंसानियत का दर्जा देने के लिये, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर, जागरूक ढंग से सेवा करते हुये अपने जीवन में प्रगति के नये से नये सोपानों पर चढ़ने की गति देने का यत्न यह सरकार करेगी । इन शब्दों के साथ मैं डा बापू कालदाते जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Now, Mr. Sunil Basu Ray.

SHRI SUNIL BASU RAY (West BENGAL): Sir, I rise to express my views on this Bill.

Sir, I would like to say that if we are to pass this Bill as it is drafted, then it would pose certain problems because it has certain clauses which are not legally tenable. The Industrial Disputes Act is applicable to industries and since the households do not come under the category of industries and cannot be called so, I do not know how it can be applied to them. It is a question of racticability. There are certain other provisions which also require a further scrutiny. It is not known how they are going to appoint inspectors at all levels because households are spread throughout the country and they are there in villages and towns and cities. Who will be the appropriate authority who will control them and regulate them?

Secondly, it is absolutely necessary that we should regulate the employment conditions of this section of workers for whom there is nobody to take up their cause. Therefore, I applaud the philonthrophic ideas behind this Bill which Dr. Bapu Kaldate has brought forward. Now, if we are serious about helping these people. who are known as domestic servants or domestic helpers, we must be very careful about the details of the provisions in the Bill because we have to see how their services are to be regulated, how their service conditions can be improved, so that the Bill is legally tenable.

I would, therefore, request the honourable Labour Minister to form a committee to go into the details of this legislation and then bring forward a fool-proof and complete and legally tenable piece of legislation which can really help the poor domestic helping hands.

Sir, I do not want to take much time of the House. I am basically in agreement with the philosophy of this Bill. But I want it to be legally tenable. This is why I request the Minister to appoint a Parliamentary committee or a committee within his Ministry itself so that a fool-proof piece of legislation can be brought forward and we can gladly pass that Bill. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Mr. Hari Singh. Not here. Yes, Mr. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY: (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Domestic Workers (Conditions of Service) Bill which has been introduced by Dr. Bapu Kaldate.

Sir, the object of the Bill is to regulate the employment and conditions of employment of the domestic workers. In our country, more than thirty million people are employed in a variety of ways and, out of these thirty million people, only three million workers are covered under the regulations pertaining to industrial labour. Twenty seven million people are working in the country whose conditions of service have not been properly regulated and who do not have any organization to take care of them. Also, they have not been taken care of by those organizations which tell these workers that they are for them. Therefore, the conditions as on date of domestic labour are really very bad and our Minister, Paswanji knows the conditions of these persons. These people come from the rural areas to the cities and towns to eke out a living. The people who are residing in posh localities. men and women. employ these people as domestic workers.

A lot of migration has taken place to big cities like Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Bangalore, Hyderabad, etc. from the villages because people can get employment in cities either as domestic labour or for the purpose of doing urban work....

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): There is a lot of migration from Madras to Bangalore.

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes; as my friend, Mr. Hanumanthappa, says, a lot of Madras State of Bangalore, place from Madras State to Bangalore. If you take today's figures of Bangalore, one-fourth of the population is Tamilian. That is the situation today. See Delhi. People have come here from all over the country; from places like Haryana, U.P., Rajasthan and Bihar a lot of people have come in search of employment opportunities. They think they get regular employment here. So the work they do, their employment, should be regularised. The work they do should be defined and protection for them. I have gone through the Bill. I have some suggestions about the Bill that has been introduced by the honourable Member. In Clause 9 he says they should be given 12 days casual leave, 21 days sick leave and 1 day earned leave for every 11 days of service. I think this provision may not be workable in the case of a domestic employee because if in six months if he has to take one month's leave on various count, the employer may not be able to permit it. Therefore, I feel four days in a month will be sufficient. Apart from that, only ESI benefits have been mentioned. Then, as regards fixation of wages is concerned, normally in the case of domestic employees wages are paid according to the capacity of the employer, not on the basis of any fixed salary. Often one employee works in six or seven households and at each place he is paid according to the type of work he does and according to the paying capacity of the employee. So, the wages cannot be uniform and the paying capacity of the different employers also cannot be uniform. So, these factors should be considered when drafting a Bill of this type. According to the information given to me a National Commission on Rural Labour was appointed by the previous Government and Jeenabhai Darji was the Chairman earlier. I understand he resigned from the position subsequently. I do not know whether a new chairman has been appointed or not for the purpose of continuing the Commission's work. Apart from the rural labour, the domestic side labour is more in numbers in urban areas. Therefore, I request the honourable Minister to have a National Commission on Urban Labour because it is vital to go into their working conditions; they are unorganised labour. Organised labour is taken care of by trade unions. For the unorganised labour, whether it is in domestic work or in the hard construction work, their working conditions must be examined. In Delhi alone there are more than 2 lakh persons employed as domestic labour and construction labour. The Minister knows it and I need not go into the details. I only want to emphasise that a National Commission on Urban Labour is a must. Only after receiving the broad suggestions or recommendations of both the Commissions can a comprehensive Bill of this type can be brought covering domestic servants and construction workers or contract workers. A separate chapter can be devoted to each such category in the Bill. With these words I support the Bill and I once again request the Minister to appoint a National Commission on Urban Labour and obtain the suggestions and recommendations of both these Commissions and then bring forward a comprehensive Bill.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (JAMMU AND KASHMIR): Mr. Vice-Chairman Sir, so, far as the Bill is concerned, opinons have been expressed by the hon. Members with regard to the objective for which it has been brought. There cannot be two opinions that the purpose sought to be achieved is definitely laudable and if we can do something practicable, it would be a welcome step.

The draft of this Private Members' Bill contains certain provisions which I fear would render this Bill impracticable unless it is properly drafted and unless the snags in the Bill are

removed. The position of the domestic servants is such that they do not fall in one category. In urban areas in particular, the domestic servants come and work for a hour in one household and another hour in another household and they are paid for that job. How will such domestic servants be governed is a question with which this Bill is not concerned. According to the definition given of the term 'domestic servant' and read with the period for which he has to work in a day, it transpires that the domestic servants who work for some time in a house are not covered by this definition. The definition as it is given also requires consideration because it is not correct. It says that domestic worker means 'any worker employed for cooking, house cleaning and attending to all other jobs connected with the household chores.' It means a particular person who does house cleaning or cooking and who attends to other jobs. Supposing a person does cooking but does not attend to other jobs. In that case, he is not a domestic servant according to this definition. Supposing a person does house cleaning but does not do all other jobs connected with the household cores, he is not a domestic servant. Once this definition is taken as the definition which will go into the Act, then it would be impracticable and will not help the persons whom we want to help, when the matter goes to a court of law, the defence will argue that, of course, he is a domestic servant, but he only cooks and does not do what the definition further says, *i.e.* "attends to all other jobs". The other defence may be that he cleans the house but does not do all other jobs. Therefore, the definition of the domestic servant as given in this Bill is not a correct definition and it is not going to help the person whom it has sought to help. Whenever the matter arises for interpretation, very easily the person who is sought to be styled as a domemestic servant or who claims to be a domesitc servant will fall out of the terms of this definition and would therefore, not be covered by the Act.

Secondly, the provision in sub-section (2) of section 3 is that the provisions of retrenchment as contained in the Industrial Disputes Act shall apply subject to the condition that in the case of retrenchemet of a domestic servant three months in case of a domestic worker who has been in continuous service for a period of not less than 2 years and two months in case of other domestic workers. Supposing a domestic worker has been working for a period of 15 days. He is a domestic servant all right. But then two months' retrenchment notice which is required under sub-section (2) of section 3 will not be possible. Supposing he has been working only for two months, and yet you require a notice for two months, it would again be wrong. Therefore this Sub-section (2) also, as it is drafted, goes to show that the Bill requires to be considered by a Committee which will take into consideration the provisions of the Bill which are impracticable and which have been drafted without due care and attention.

Thirdly, Sir, I would invite your attention to Section 4. It says that gratuity will be payable to any domestic servant who dies in service or who resigns. supposing a domestic servant resigns, you are liable to pay him gratuity. And if he resigns without notice, you have to take into consideration the hardship which the employer will suffer. The law has not to take only lopsided or one-sided view of the thing, but it has to take into consideration both the parties involved. A domestic servant resigns putting the employer into hardship and yet he will be called upon to pay gratuity. What I say, therefore, is that in Section 4 when we say that a domestic servant shall be entitled to gratuity at the rate mentioned in this even if he resigns, I would like to say that it should be re-drafted so as to say, provided that in the case of resignation, the worker had given to the employer at least a month's notice of his intention to resign in advance. If he has

[Shri Shabbir Ahmad Salaria]

not done that, and all of a sudden he resigns and yet claims what you say this gratuity, then it would be unjust.

Furthermore, when Section 11 is read, you will see that the power to appoint an Inspector is given to the Central Government. Normally speaking, such powers are given to the appropriate Governments because they are nearer to that place and have a better control of the situation. So, there also, the Bill requires a re-consideration. So, my submission before the hon. Members would be that the Bill as it is framed is very much faulty in drafting and is not going to achieve the purpose for which it has been framed. And when the question arises of the fixation of the wages for domestic servants, it says that the Associations of the domestic workers will be consulted. Well, the other party who has to pay has also to be consulted. So, when a balanced view of the matter is taken into consideration, it transpires that this Bill requires a thorough consideration to advance the objective for which it has been floated.

With these submissions, Sir, I would no doubt endorse the objective, the purpose for which it has been brought, but I would forcefully submit that the Government may kindly consider bringing in an exhaustive and better legislation on the subject after taking into consideration the pros and cons and the circumstances attending the working conditions of the domestic workers, and that Bill may then be considered by the House and passed. Thank you, Sir.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे देश का जो संविधान है, उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज हैं उन सिद्धांतों के मुताबिक हमारे देश का जो शासन है उसका उद्देश्य वेल्फेअर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य है । उसी दिशा में बापू कालदाते जी यह घरेलू कर्मकार (सेवा की शर्तें) विधेयक, 1989 लाए हैं, जिस पर चर्चा हो रही है ।

उस को और महत्ता देने के लिए, आवश्यक बनाने के लिए, सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिये यह बिल बड़ा ही सामयिक और समय के अनुसार और समय की मांग और उसको जल्दी पूरा किया जाना, यह सब का द्योतक है ।

मैं बापू कालदाते जी को, वे सदन में नहीं हैं, हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि सोसाइटी का समाज का वह हिस्सा जो बहुत ही इग्नोर किया जाता है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है जिसके ऊपर घरों में अत्याचार होते रहते हैं, जुल्म होते रहत हैं, जिनको तनख्वाहें नहीं मिल पातीं, कपड़ा नहीं मिल पाता, समय से ज्यादा काम लिया जाता है, कोई आराम नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती, दवा दारू नहीं मिलती, इलाज नसीब नहीं होता, तालीम की बात तो छोड़ दीजिए, उस समाज के हिस्से की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया । यह सचमुच बहुत ही आवश्यक था जो यह बिल लाया गया ।

हमारे देश का आज जो सिद्धांत है कल्याणकारी स्टेट बनाने का, असमानता मिटाने का, अत्याचार मिटाने का जो समाज में असमानता है उसके मिटाने का तो उसमें इन बातों को देखने की भी आवश्यकता है । आप जानते हैं जो घरेलू नौकर होते हैं वे आम तौर पर तीन तरह के मिलते हैं एक तो बच्चे जो असहाय होते हैं, छोटी उम्र, कच्ची उम्र के बच्चे होते हैं दूसरे स्त्रियां और पुरुष होते हैं और आम तौर पर ये बेचारे घरों में काम करने वाले वे लोग होते हैं जिनका न कोई सिफारसी होता है न कोई काम करने वाला होता है, न कोई मदद करने वाला होता है । आम तौर पर देहातों के उन हिस्सों से जो बहुत ही पिछड़े, बैकवार्ड, गरीबी के मारे हुए लोग होते हैं, वे ही इनमें होते हैं । इनके काम करने के वक्त का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं । सबको सुलाने के बाद फिर सबसे पहले उठते हैं । उनका

जीवन, जैसे तेली का बैल घूमता रहता है, वैसे ही होना है, उसी तरह से घर के काम में लगे रहते हैं।

अभी हमारे पाण्डेय जी कहते हैं कि बहुत सारे हमारे घरेलू नौकर चोर हो जाते हैं। उनकी मजबूरी है। "बुभुक्षयत: किम न करोति पापम्"। भूखा क्या पाप नहीं करता है। इस तरह की बातें कही गयी हैं। मैं इतिहास को नहीं दोहराना चाहता हूं, समय की कमी है। हमारे घरेलू नौकरों में, जो घरों में काम करने वाले होते हैं उनमें पन्ना धाय का उदाहरण आपके इतिहास में मौजूद है कि उसने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी अपने मालिक को बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं है . घरेलू नौकर जो हैं, मालिक से ज्यादा घर की हिफ़ाजत करते हैं। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसी एक नहीं बहुत-सी कहानियां आंखों से गुजरी हैं गांवों, देहातों या शहरों के अंदर कि घरेलू नौकर ने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान को हथेली पर लेकर मालिक के सामान की बच्चों की हिफ़ाजत की और कोई-कोई घरेलू नौकर तो इतनी सेवा करते हैं बच्चे की कि बच्चा जब तक अबोध रहता है समझता नहीं कि मेरा असली मां बाप कौन है और वह घरेलू नौकर ही है जो उसकी सेवा करता है, खिलाता है, कंधे पर बाजार घुमा कर ले आता है, स्कूल छोड़कर आता है तब तक वह समझता है कि मेरा असली मां बाप तो यही हैं। लेकिन जैसे-जैसे उम्र का ज्ञान होता चला जाता है वह समझने लगता है कि नहीं यह तो नौकर है, असली मेरे मां बाप ये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें हैं। यही नहीं अगर आप गौर से देखें, आप गोआ में चले जाइये, दक्षिण में जाकर देखिये जो मिशनरीज हैं उन्होंने समाज के बहुत से हिस्सों को जो नेगलेट किया जा रहा था उनकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, कोई पढ़ाता नहीं था—उन दूर दराज से आये मिशनरियों ने पहाड़ियों में, जंगलों में, झुग्गियों में आदिवासियों के बीच में बैठकर, उन जवान-जवान, बड़ी खूबसूरत औरतों ने नौजवान लोगों ने बैठकर वहीं का भोजन किया, खाना-पीना किया और उनको पढ़ाने लगे। इससे वहां के जो आदिवासी लोग हैं वे समझने लगे कि ये हमारे देवता हैं, ये हमारे मालिक हैं। वहां के बच्चे उन्हीं को अपना मां बाप समझने लगे। तो घरेलू नौकर का जो रोल है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। मुझको ठीक मालूम है कि जापान के दो आदमी थे जो एक संस्थान चलाते थे गरीब बच्चों को पढ़ाने का सिखाने का, शिक्षा देने का उनको दवा दारू देने आदि का काम करते थे। इत्तिफ़ाक से जब जापान की सरकार ने उनको वापस किया और जब मैं वहां मिनिस्टर की हैसियत से पहुंचा आगरे में तो वहां के बच्चे और बुजुर्ग तथा देहात के लोग मेरे से मिलने लगे कि साहब इन जापानियों का ट्रांसफर रुकवा दीजिए, वहां का हर बच्चा हर नारी रो रही थी कि इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है, मां बाप भी इनके सामने अच्छे नहीं लगते। तो ऐसी सेवा भी करते हैं। मान्यवर, वे भी जापान के घरेलू नौकर थे जो हमारे भारत के बच्चों की देखभाल करते थे। आज आप जानते हैं कि जमाना बदल गया है।

डा० बापू कालदाते जी ने इसमें बहुत-सी बातें की हैं। इनकी तनख्वाहों का सिलसिला होना चाहिए कि उनकी तनख्वाहों के बारे में कोई नियम ही नहीं हैं। कहीं-कहीं तो मालूम पड़ता है कि बेचारे को एक-एक, दो-दो और तीन तीन महीने तक तनख्वाह नहीं दी गयी और घरेलू नौकर जब तनख्वाह मांगता है तो कभी चौथाई दे दी, कभी आधी दे दी, कभी दो रुपये दे दिये, कभी चार रुपये दे दिये। और जब उसकी पांच-पांच महीने की तनख्वाह जुड़ गई, तो दारोगा से कह दिया और चोरी में उसको पकड़वा दिया। आए दिन उन पर अत्याचार होते रहते हैं।

यही नहीं, मैं तो कहना चाहता हूं कि नगरपालिका में भी—मैं इस सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की नगरपालिका में पिछले तीन-चार

[चौधरी हरि सिंह]

महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली है, वर्दी की बात छोड़ दीजिए, काम करने के औजार छोड़ दीजिए । उनकी छुट्टी और उनके जो बोनस का रुपया है वह उसे नहीं मिल रहा है । तीन महीने से उत्तर प्रदेश नगरपालिका के सरकारी चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं मिली है । घरेलू नौकर की तो बात ही आप क्या कहते हैं । यह हालत है ।

यही नहीं, श्रीमन् आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि खास करके मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश,—उत्तर प्रदेश का तो मुझे बड़ा ज्ञान है कि सरकारी विभाग के कर्मचारियों को नौकर रख लेते हैं अपने घर के नौकर की तरह से रखते हैं और तनख्वाह सरकार के विभाग से मिलती है, लेकिन घरेलू नौकर, वह अफसर के यहां या हैड बाबू के यहां काम करते हैं । वह घरेलू नौकर जो सुबह से शाम तक काम करते हैं । जैसे और घरेलू नौकर काम करते हैं, उसी तरह से वह भी काम करते हैं और उनको कभी पक्का, पर्मानेन्ट नहीं होने देते और इसी धौंस में कि अगर गड़बड़ करोगे, तो हम निकाल देंगे, उनका शोषण होता है ।

घरेलू नौकर के कल्याण की बात तो दूर रही । आज तो यह हालत इस देश के अन्दर मौजूद है । तो इसकी तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत आवश्यक है और यह जो प्रावधान इसमें रखा गया है कि आखिर इसको रैगुलर कैसे करना चाहिए । मैंने उनके ऊपर अत्याचार की बात बहुत कही, उनकी जो कंडीशंस हैं या उनकी परिस्थितियां हैं, उनकी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के सदस्यों की एक समिति बनाई जानी चाहिए । आज तक कोई ऐसा लेटेस्ट सर्वे नहीं है कि घरेलू कर्मचारियों की क्या कंडिशंस है, उनके लिये क्या उपाय होने चाहिए, किन घरों में नौकर रखे जाते हैं और उनके लिये वाया-मीडिया रजिस्ट्रेशन आफिस किस तरह से बन सकते हैं । इन सब बातों के लिए पार्लियामेंट के सदस्यों की एक समिति बनाई जाए जो सारे देश का सर्वे करे । उसमें सब दलों के सदस्य हों तथा कोई संसद सदस्य ही उसका चैयरमैन हो बनाया जाए जिससे कि यह सारी समस्या हमारे सामने आ सके और सरकार भी उसके लिए कानून बनाने में सफल होगी ।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस बिल में इंसपैक्टर का सुझाव दिया गया है । इंसपैक्टर की पोस्ट आजकल ऐसी हो गई है कि समाज ने इंसपैक्टर को डिसओन कर दिया है, उनकी अथारिटी कोई नहीं मानता है । सो इनके लिए जो कानून बने, उसमें वैलफेयर आफिसर जैसा एक आफिसर होना चाहिए और यह लाजमी कर देना चाहिए कि जो घरेलू नौकर रखना चाहते हैं, जो भी घरेलू नौकर रखें, चाहे वह लड़का या स्त्री अथवा पुरुष हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवायें और पूरा पता दें । हमारा जो वैलफेयर आफिसर है, उसके नीचे कुछ कर्मचारी यह तथ्य प्राप्त करते रहें और उनकी एक साथ चेन बनी रहे ।

इसी तरह से जैसे हमारी कंट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम है, इसी तरह से मालिकों से कुछ पैसा मंथली लेकर, एक या दो रुपये लेकर, जैसे लेबर के लिए यहां ई०एस०आई० अस्पताल हैं, इसी तरह से रेल नौकरों के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से रुपया लेकर के या समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक ऐसा अस्पताल उनके लिए भी होना चाहिए । जिसमें कुछ रुपया कंट्रीब्यूशन घरेलू नौकरों के मालिकों से लेना चाहिए, जिनके यहां यह नौकर होते हैं ।

इसके साथ-साथ वैलफेयर की जो स्कीम्ज हैं, उनको भी लागू करना चाहिए । साथ ही साथ घरेलू नौकरों के बहुत सारे पूरे परिवार नौकर रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं । उनकी शिक्षा दीक्षा

का भी माकूल इंतजाम होना चाहिए । जैसा कि मैंने कहा कि यह बिल बहुत ही अच्छा है जो इस बात का कानून बनाने के लिए लाये हैं । सरकार सोच कर इसको बनाये । वक्त के लिए यह बहुत जरुरी है । इसको बनाने के लिए इस वक्त बहुत जरुरत है और यह सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भी होगा कि इसमें नियम, कानून लगाकर बनाये ।

मुझे बड़ी खुशी है कि जनहित के सिलसिले में बहुत सारे नये-नये कानून लागू करने जा रहे हैं । इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि लेबर के लिए जैसे लेबर कोर्ट्स होते हैं और यह भी लेबर वाले हैं, लेकिन इनको कंडीशस और जो आर्गनाइज्ड लेबर है, जो फैक्ट्री मे काम करती है, उससे तो वैसे भी आर्गनाइजेशन की वजह से मालिक डरते हैं कि वह फैक्ट्री को, बस को, मोटर को रोक देते हैं, उनके लिए तो सरकार घबरा भी उठती है, उनकी ट्रेड यूनियन भी होती है ।

तो माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह होगा कि घरेलू नौकरों के केसज को देखने के लिए भी घरेलू नौकरों की स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए और उसमें सरकार की तरफ से फ्री वकील होने चाहिएं, क्योंकि . . .

4 P. M.

घरेलू आदमी जाकर अपनी समस्या बता दे । कहीं-कहीं तो उनको मार भी डाल जाता है, जैसाकि अभी पाण्डेय जी ने बताया कि घरेलू नौकरों को मार दिया गया । उनको लांछन लगाकर जेल में भेज दिया जाता है । उनको पकड़ा जाता है तो कोई पैरवी करने वाला नहीं होता । उनका कोई भाई, रिश्तेदार या कोई खानदान का नहीं होता क्योंकि ये नौकर दूरदराज से आते हैं । उन्हें दीवान या दरोगा पकड़कर जेल में डाल देते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है, जमानत करने वाला कोई नहीं होता है । इसलिए सरकार को स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल वकील और इस तरह का स्टाफ बनाकर उनकी तकलीफों को दूर करना चाहिए ।

महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे श्रम और कल्याण मंत्री जी के मन में समाज को उठाने का एक जज्बा है । लेकिन वे कितने कामयाब हो पाते हैं, यह देखना है क्योंकि कभी-कभी ख्याल अच्छा होता है, मकसद और नीयत भी होती है लेकिन बहुत सारी मजबूरियां होती हैं । इस सरकार की एक मजबूरी यह है कि इसमें कांट्राडिक्टरी आइडियाज हैं । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पुलिस के द्वारा या मालिक के द्वारा जो इन नौकरों पर ज्यादतियां होती हैं, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए विभाग की तरफ से अलग से कोई इंतजाम कर दें । यही मेरा आग्रह है और इस बिल का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Prof. Sourendra Bhattacharjee.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : अब मेरा नम्बर है ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): According to the serial order which we have got.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: That means I will not get the opportunity. They consume a lot of time.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Nobody is consuming more time. Everybody is making educative points.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, in the matter of justice, particularly in Great Britain a term is in vogue, that is, "to be tried by his peers, that is by his equals, which is at the root of the jury system." Regarding law also the point

[Prof. Sourendra Bhattacharjee]

arises, by whom the law is framed. Needless to say, that here in both the Houses there is no representative of domestic servants. It is a matter of fact that perhaps those who have drafted this Bill have framed it out of their personal experience. These domestic servants will nilly have to accept the conditions laid down by all of us for them. In a country like India, with abundant unemployed human resources, one of the most trivial employment perhaps is domestic employment. I do not know whether the hon. Labour Minister would be prepared with any figure regarding the number of domestic servants throughout the country. Even if he is ready with such a figure, it may always be presumed that that figure will not tally with the actual situation in this regard. I have no personal knowlege but I have been told that in advanced capitalist countries—we are not advanced—domestic servants can be employed only by those who are very rich. The middle class people, even upper middle class people, are not in a position now to employ domestic servants. At the same time, various improved devices, to a great extent, make the domestic service redundant. But in our country, it is not on the wane but on the increase. Here labour force is in abundance, but in spite of the goal of right to work to be enshrined in our Constitution as a Fundamental Right being very near, this situation naturally will not change overnight. The general position of the unorganised sector is dismal, but of the unorganised sector, perhaps the domestic servant's lot is the worst.

For the Government, there must be many difficulties to grapple with. Hon'ble Dr. Bapu Kaldate, in his Bill, has kept a provision for muster roll and other things—a very practical idea in one sense, but in another sense it may not be that practical. How far will it be possible for the Inspector who will be appointed to supervise these things to do that is a thing over which we should ponder. Regarding India, it has been said by Gunnar Myrdal that in this country there is no dearth of legislation, but only absence of implementation. That would be clear from this Bill also. Whereas in this Bill, a particular section—perhaps section 25—of the Industrial Disputes Act has been quoted, I would be very happy to learn from the Labour Minister whether this particular section was ever invoked in defence of the rights of the domestic workers.

Sir, this is a tangled social problem, an economic problem and a human problem. There can be nothing more humiliating than the domestic service. They may not be in the boots of olden days' slaves, but in many parts of the country, they fare hardly any better today. This situation can hardly be overlooked.

Sir, the fate of an unofficial Private Member's Bill is well-known, but it is a device to draw the attention of the Government to a very urgent or pressing matter so that the Government comes forward with proper measures. Hon'ble Mr. Sunil Basu Ray, in the course of his speech, put forward a suggestion that the Labour Minister should set up a committee to frame a comprehensive legislation taking care of all the aspects covering this area.

I think that is a very practical suggestion, a suggestion which should be occepted by the Government, but in our long political experience we have been used to sometimes saying that when in an organization a subcommittee is formed, that is a device to shelve a matter. Our young and energetic Labour Minister should ensure that the committee does not meet that fate and really something useful, worth while comes out of it.

The entire system is not only humiliating for those who are victims but also humiliating for those who derive benefit out of it. This is one system

which can best be tackled if we can strengthen our economy to provide gainful employment to all able-bodied persons according to their capacity or capability. So long as it would not be possible, then this very bad system cannot definitely be obliterated. The inequity of the system where one man lives on the labour of others needs no repetition. But, if we are really concerned about it, we must take it up very earnestly.

In our country there is the problem of bonded labour. In spite of the various attractive figures regarding how many bonded labour have been freed, we know that bonded labour abound in our country even now. People below the poverty line, in spite of claims to the contrary, go on increasing. Unless we are able to reverse this downhill trend in our economy, in our employment potential, it will be extremely difficult for us to deal with this situation. Even many of us will take advanage of the distress of others in order to lessen our own burden. These simple things are at the root of long continuance of this problem and, if we want to really solve this problem, then all these aspects have to be dealt with in a determined manner and with the atmost sincereity. Thank you Mr. Vice-Chairman.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity. It is very unfortunate that the domestic workers are still continuing even after 43 years of Independence.

For want of livelihood in the rural areas, the agricultural labour are migrating to the urban areas. For example, when we attained Independence in 1947, the population of Delhi was round about six lakhs whereas, I am told, by the 1991 Census it may reach one crore. Mostly from the rural areas, agricultural labour migrate to the urban areas. Usually the menfolk take to pulling of rickshaws because the job of rickshaw-pulling needs no training it needs no licensing and no recommendation to get that job, and their female counterparts engage themselves as domestic workers—cleaning the houses and utensils, taking care and upkeep if the children in their masters houses and attending to all kinds of odd jobs. So, unless something basically is done to improve the deteriorating conditions in the rural areas, I am very much afraid that this socio-economic problem as well as humanitarian problem will continue for ever and even more so in the urban areas. It is something like bonded labour. During the emergency an Act was passed for abolition of bonded labour in the country when Mrs. Gandhi was the Prime Minister. But the Act was implemented more in breach than in implementation. Sometimes the bonded labour Act was implemented to settle political score also. In the Khammam District in Andhra Pradesh, from where Mr. Jalagam Vengal Rao, the then Chief Minister hails. Mr. T. Venkatappaiah, a Congress MLC was also there in the same district. Mr. Vengal Rao instigated the Collector and asked him to book Mr. T. Venkatappaiah, the Congress Legislator, under the bonded labour law. So, what I mean to say is that this Domestic Workers Act should not be misused for settling political scores.

Some hon. Members mentioned about a National Commission for Urban Labour, also for unorganised labour and other things. In most of the offices Class IV employees are being used for working in the officers' houses, to carry their children to the Convent Schools, to drop madams at ladies clubs and to secure some cinema tickets and other things to the housewives of the concerned officers. So, this system should also be abolished.

About three, four years back, if I remember correctly, or five years back, there was a team surveying and enquiring about the minimum

[Dr. Yelamanchili Sivaji]

wages in various parts of the country. But, to my surprise, those people who were employed to undertake that survey, were paid less than the minimum wages imposed by the Government of India. So, what I would like to suggest is that to discourage the growing slums and *jhuggis* in the urban areas something radical should be done in the rural areas to check migration of rural agricultural labour to urban areas.

I would like to congratulate Dr. Bapu Kaldate who brought this Private Member's Bill to bring this to the notice of the Government. I hope that the energetic Minister will take note of it and see that the Government takes some positive steps and the Government itself will come out with an official Bill to see that domestic workers are paid proper wages and that they get all other benefits like retiring benefits whatever they are, provident fund benefits and other things.

Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Shri Ram Awadhesh Singh.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): I do not object to Mr. Ram Awadhesh Singh speaking first. But I do not want to bring on record that even for Private Members' business you do call people partywise. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): The list I have got. I am following that. At the last moment if some names have come...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: There is no such thing as "last moment" about Party lists. Kindly check up the things. (*Interruptions*) Names can be given any time, and you call one from Congress (I) and one from the other side. I find that three non-Congress (I) Members have been called in a row. I don't object to his speaking. Let him speak. But I do want to bring it on record. Please don't follow that procedure. Follow the procedure which has been well established and which has been followed for years together now.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Let us be brief so that we will give an opportunity for the Government and the hon. Minister to reply today itself. Please carry on.

श्री राम अवधेश सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो घरेलू कर्मकार (सेवा की शर्तें) विधेयक लाया गया है उसे लाने के लिए बापू कालदाते को पूरा सदन बधाई देता है। उनकी भावना का आदर करता है लेकिन जो प्रोविजन उन्होंने गिनाये हैं वे असम्भव तो नहीं हैं कठिन जरूर हैं। इस माने में कि जो हमारे यहां जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है वह इस तरह की है जिसको थोड़ी बहुत आमदनी होती है खाने से ज्यादा तो आराम के लिए एक घरेलू नौकर रख लेता है। यह ठीक ही कहा हमारे साथी ने कि हमारी जिन्दगी लग्जूरियस हो गई है। आप अमेरिका, जर्मनी या इंग्लैंड जाइये तो आप देखेंगे कि जिसकी एक लाख डालर सालाना आमदनी है वह घरेलू नौकर नहीं रख सकता क्योंकि घरेलू नौकर को उसको काम के लिए महीने में दो हजार या तीन हजार डालर देने पड़ेंगे। इसलिए वह नहीं रख सकता। हमारे यहां 50 रुपये में नौकर मिल जाएगा, सौ रुपये में नौकर मिल जायेगा। क्यों मिलता है ? क्योंकि इतनी घोर गरीबी है, लोग इतने बेरोजगार हैं, भूमिहीन लोग कि वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम पढ़ा सकें। जिसके तीन-चार बच्चे हो जाते हैं और वे 8, 10 या 12 साल के हुए कि वह सहारा बन जाते हैं। वह गांव छोड़ देते हैं, वह मां-बाप को छोड़ देते हैं। इस उम्र में उनको स्कूल जाना चाहिए पढ़ना चाहिए। इस समय वे किसी दूसरे के घर में जाकर बर्तन साफ करते

हैं, उनके यहां पांव दबाते हैं, कपड़े धोते हैं। इस तरह से रोजी-रोटी कमाते हैं। मां-बाप को 50, 60 या 100 रुपये तक लाकर देते हैं। मां-बाप समझते हैं वह हमारे लिए सहारा बन गया। आज की स्थिति यह है कि चाहे कितने भी कानून लगा दें पर वे कानून चलने वाले नहीं हैं। जैसा आपको पता है दहेज बंदी कानून पास कर दिया तो क्या दहेज देना और लेना बंद हो गया? आज आजादी के 42 साल के बाद भी जो संविधान में दिया हुआ है कि 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे देंगे, दस साल के अंदर दे देंगे तो क्या दे पाये? अभी तक नहीं दे पाये। हमारी अर्थ नीति गलत रास्ते पर चल रही है। हम रोजगार के अवसर गांव में पैदा नहीं कर पाये। ऐसी स्थिति हो गई कि गरीब इतना गरीब हो गया है कि अब वह सोचता है पढ़ा कर क्या होगा। इनको कोई काम कराया जाए। अब तो ज्यों ही बच्चा होश संभालता है तो उसको होटलों में या किसी घर में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। एक बहुत भयावह स्थिति है देश के लिए और किसी भी विकासशील देश के लिए सोचनीय अवस्था है। इस मामले में कानून बना देने से काम नहीं चलने वाला है। मैं समझता हूं इस से हम ज्यादा सफल होने वाले नहीं हैं। 20वीं सदी में तो होने वाले लगते नहीं है। कानून बन जाए इसलिए कि आगे काम करेगा पर कुछ होगा नहीं। हमने कानून बनाया था कि थोड़ा बहुत धीरे-धीरे हम बढ़ेंगे और वह आगे जा कर आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता साफ करेगा। हम यह सोचें कि हम लोगों ने कुछ काम किया, इस दिशा में सोचा और सोच कर एक कदम बढ़ाया इस के लिए तो इसका महत्व है लेकिन अभी 10 साल, 11 साल या इस 20वीं सदी में कुछ होगा, इसका किसी भी प्रावधान का, प्रोविजन का इम्पलीमेंटेशन हो सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। यह तो घर-घर में काम करने वालों के संबंध में है, प्राइवेट डोमेस्टिक सर्वेन्ट के बारे में है। मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री जी इस पर ध्यान दें। पूरे देश में एक वर्ग है चौकीदार, दफादार का, उसमें विशेष रूप से हरिजन और कमजोर वर्ग के लोग हैं। शरीर की रेत निकल जाती है, दांत झड़ जाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, तब तक वे काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सरकारी नौकर नहीं माना जाता है। इनकी बंधुआ मजदूरों से भी ज्यादा खराब हालत है। वे क्या करते हैं, उनकी जिन्दगी इतनी भयावह है कि रात में पहरा देते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, उनकी जान भी चली जाती हैं, डकैत उनको मार भी देते है चोर भी उनको मार देते हैं। उनको कोई देखने वाला नहीं है। व्यक्तिगत लोग ही उनको पैसा देते हैं। यह इंडिविजुअल मामला है। सरकारी खजाने से भी इनको पैसा मिलता है। बिहार में 15 रु० पाते थे तो मैंने 23 साल तक लड़ते-लड़ते इसको साढ़े 12 सौ रुपया करवाया और संघर्ष करने के बाद इनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करवाया, पूरे देश में करवाया। उत्तर प्रदेश में अभी 35 रु० मिलते हैं और 70 रुपये मिलते हैं मध्य प्रदेश में और बंगाल में शायद ढाई सौ रुपये मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर भारत सरकार राज्य सरकारों को लिखे और पहल करके कुछ अनुदान देकर इनको कुछ ज्यादा तनख्वाह दे और इनको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी माने। कोई वर्ग में तो इनको मानना चाहिए चाहे वह पांचवां वर्ग ही क्यों न हो। वे तो खजाने में से पैसा लेते हैं और लेते-लेते मर जाते हैं, फिर भी उनको चतुर्थ श्रेणी का आदमी नहीं माना जाता है। मैं समझता हूं कि मौजदा जो हमारे श्रम मंत्री जी हैं वे इनके दर्द को ज्यादा जानते हैं, नजदीक से जानते हैं। क्या वे ऐसा प्रयास करेंगे भारत सरकार में कि वित्त मंत्री से, गृह मंत्री से मिलकर बात करें! मैंने यह सवाल गृह मंत्रालय की कंसलटेटिव कमेटी में भी उठाया था। और उस समय के गृह मंत्री श्री बूटा सिंह ने कहा था कि वे इस बात को समझते हैं और इस की गहराई को और दर्द को समझते हैं, लेकिन कोई पहल नहीं हो सकी, वे दर्द लेकर चले गये, कुछ नहीं कर सके। मौजूदा सरकार के सीने से कितना दर्द है, वह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं किसी दिल में दर्द

[श्री राम अवधेश सिंह]

हो या न हो, लेकिन श्रम मंत्री जी को यह दर्द जरूर छू गया है क्योंकि वे चौकीदार वर्ग से आते हैं। इनके हित नाते और दोस्त इसमें ज्यादा हैं और इनके हित नाते और हमारे रिश्तेदार भी उसमें ज्यादा हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वे हमारे दर्द को ज्यादा समझ सकते हैं। इसलिए आप सरकार से बात करिये। जिस तरह से यह घरेलू नौकर का बिल है उसी तरह का बिल चौकीदार के बारे में और दफादारों के संबंध में आना चाहिए ताकि उनको मिनिमम वेजज तो मिल सकें। यह एक ऐसा आदमी है जो प्रशासन की पूरी नींव है। अगर चौकीदार थाने में रिपोर्ट नहीं दे तो थाने में कोई भी रिपोर्ट नहीं हो सकती है। जिले का और पूरे प्रशासन की नींव चौकीदार है। चौकीदार पुलिस की सबसे मोस्ट कड़ा है, अंतिम कड़ा है। वहां से सूचना शुरू होती है और आई.जी. तक जाता है, आई.जी. से फिर सेक्रेटरी और भारत सरकार के गृह मंत्रालय तक सूचना जाता है। इसको कहते हैं खैरियत रिपोर्ट। खैरियत रिपोर्ट नीचे से, चौकीदार जो हर गांव में होता है और वह हर गांव से सूचना लेकर जाता है। उस पर थोड़ा दर्द से सोचिये। जब आप घरेलू नौकरों के बारे में सोच सकते हैं तो इसके बारे में क्यों नहीं सोच सकते हैं! उसकी जिंदगी को देखिए। इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। मान्यवर, जब वह थाने में जाता है तो सलाम करता है थानेदार को कि सलाम हुजूर। थानेदार एक सांस में जितनी गाली दे सकता है, गाली देता है। मां, बहन, बेटी लगाकर जितना गाली दे सकता है देता है और तब सलाम लेता है। इस आजाद भारत में ऐसी स्थिति है। बिहार में मैंने 25 साल पहले से उन्हें संगठित करना शुरू किया था और आज ऐसी स्थिति मैंने पैदा कर दी है कि जो थानेदार गाली देगा उसको दो लाठी मारो और जो एक बार गाली देगा तो पांच बार गाली दो। इस तरह की स्थिति मैंने करवाई है। लड़ते-लड़ते अब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी वहां को राज्य सरकार ने उनको घोषित किया है और सूचना निकाल कर गजट में इसको अधिसूचित किया है तथा 1246 रुपया उनका मासिक वेतन मुकर्रर किया है। (व्यवधान)...

मैं कन्क्लूड कर रहा हूं तीन मिनट में।

मैं इस बिल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। जो इंडस्ट्रियल डेस्प्यूट ऐक्ट है उसको मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है। मैंने इस पर अध्ययन किया है। जो 25 सेक्शन है, इंडस्ट्रियल डेस्प्यूट ऐक्ट का वह ऐसी धारा है जो पोलिटिकल फुटबाल है। पोलिटिकल फुटबाल की क्या हालत होती है! इधर से मारो उधर और उधर से मारो इधर आ गया। तो देश के तमाम मजदूरों को पोलिटिकल फुटबाल के रूप में यह धारा इस्तेमाल करता है। इस धारा को लागू करने में जिस उपधारा का इसमें जिक्र किया गया है उस पर बहुत सावधानी से काम करने की जरूरत है। हम देखते हैं इस इसके साथ जोड़ा गया है पता नहीं बापू कालिदास साहब ट्रेड यूनियन के आदमी हैं या नहीं हैं। इंडस्ट्रियल डेस्प्यूट ऐक्ट को कितनी गहराई से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है! मैं नहीं समझ सका कि इन्होंने इसको इससे कैसे मिला दिया है। मैं समझता हूं कि अगर अलग से एक आजाद बिल आता और इसको उस से नहीं जोड़ा जाता तो ज्यादा अच्छा होता और इसका रूप ज्यादा सुंदर होता लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने इसको इससे मिलाया है। मैं इस पर क्या कहूं। यह तो किसी भी हालत में पास हो जायेगा। इससे कुछ कमी हो सकती है, इसमें कुछ बुराई हो सकती है। लेकिन इससे टाटली जो वातावरण बनेगा वह अच्छा बनेगा और बाद में धीरे-धीरे इसमें सुधार हो सकता है।

महोदय, मैं अंत में आपके माध्यम से श्रम मंत्री से अपील करके बैठना चाहता हूं। क्या मैं उनसे उम्मीद करूं, इस सत्र में तो यह संभव नहीं है, लेकिन जो अगला सत्र राज्य सभा का शुरू होगा, 24—25 अप्रैल से, उसमें चौकीदारों, दफादारों के मिनिमम वेजेज के बारे में क्या वे कोई बिल लायेंगे ?

उनकी सर्विस कंडीशंस के बारे में क्या कोई बिल लायेंगे ? अगर वे ऐसा करेंगे तो देश के गांव-गांव में, देश के कोने-कोने में उनके नाम का डंका बजेगा । मैं भी ऐसा होने पर उनके नाम का डंका बजाऊंगा । धन्यवाद ।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Mr. Vice-Chairman, Sir, I appreciate the principle underlying this Bill which seeks to provide for the fixation of wages and for improvement of the conditions of domestic workers. It arises out of Dr. Bapu Kaldate's deep concern for the welfare of workers in general and unorganised workers in particular. The statement of objects and reasons is succinct and telling. It brings to focus the miserable plight of domestic workers.

Sir, while I support the call to improve the living conditions of domestic workers, while I stand for the grant of certain basic amenities, for leisure to the workers in the households, I definitely am of the opinion, and I concur in that opinion with the hon. speaker speaking before me, that perhaps the conditions are not ripe to enforce a legislation as this. Sir, we know that though the Government has expressed its desire to incorporate the right to work in the constitution, yet, we are not in a position to provide even a modicum of social security to the vast numbers of our people in the country. And quite often we find that the people who are employed as domestic servants come from the most deprived sections of the society. Not that I mean to suggest that any householder who gives some employment to any person is, in any way, giving some charity to the person who works for him. But I, with utmost respect, do want to say that instances are there where families employ a domestic servant to provide some sort of support to the person who is employed. Because of the paucity of time, I do not want to dwell at length on that giving instances on that score. But I think that if we become too technical, if we come too heavily on the employers, the measure may prove to be counter-productive. An hon. Member was saying that only rich families employ a domestic servant. It is not really so. Even middle class office-going families, working families, do, at times, employ a domestic servant. In that case, if you have to fix some minimum wages for them, I think it would not work. But there is no denying the fact that an effort in making a law as this is called for and it must *inter alia* provide for gratuity which is referred to there in the Bill, it must provide for measures like provision of some leisure to the domestic servants. But if you have to fix the working hours, say eight hours as you do in the case of industrial workers, again, I do not think the measure would work because the nature of work in a household is entirely different. A person may be free for a number of hours and suddenly because of some guests arriving, the person may be required to work even say at 8 p.m. or 9 p.m. or 10 p.m. And in that case, if the servant were to be pressing too much for the rights, I think there will be a breaking of the relation that should exist, a personal bond that should exist, between the employed and the employer. But this does not mean that we need not look to the interests of the employed, to the interests of the domestic servants. We have to look to them with compassion; not only compassion; but some legal rights have to be provided.

Sir, the rights which I plead for are those which, in any case, the Government must go ahead to provide. This Bill will be withdrawn, but I would appreciate it if the Government were to come forward with some sort of a measure making it imperative for every family to see that any domestic servant working with them is given some time off to go in for some sort of non-formal education.

Unfortunately, we have always been changing our target dates for achieving

[Shri Pawan Kumar Bansal]

universal elementary education for all children below the age of 14 years. We employ children in all sorts of odd jobs. They miss their childhood that cause of poverty. The minimum that must be done for them is to impart some education to them.

While these people may be working in households to eke out a living, even to provide some sort of support to their families, we at the same time should ensure that the Government or the local authorities do undertake some sort of survey of all the domestic servants, some sort of consus in all the localities in big towns and then see that for some time those people are away from their work and go to attend an adult education centre.

Sir, with these words, I would again commend the anxiety of the Mover of this Bill, hon. Dr. Bapu Kaldate. He has also drawn the attention of this House, and through the House, of the Government to a very pressing subject, a subject of utmost importance and I am confident that, keeping this in mind, the Government would take some measures. I do want, at the same time, to add that in our anxiety to provide for the welfare of the workers we must not act in some haste in bringing forward a Bill for the domestic servants. We have to create conditions where they are not condemned to a life of slavery, but conditions which enable them to come up in life.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Now, the hon. Minister to speak.

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देता हूं डा० बापू कालदाते जी को और अपने तमाम साथियों को जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है और इस संबंध में चर्चा के माध्यम से देश का ध्यान आकृष्ट किया है । इसमें दो मत नहीं हैं कि जो घरेलू नौकर हैं उनकी समस्याएं काफी जटिल हैं । मैं इस बात से सहमत हूं जैसा कि अभी राम अवधेश जी ने कहा कि इस समस्या का निदान तब तक नहीं हो सकता है जब तक देश को हम गरीबी से कम से कम उबार न सकें तो कम से कम एक सम्मानजनक स्थिति में ले आयें । आज इस देश में लोग गरीबी की रेखा से नीचे ही नहीं हैं बल्कि इसी देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो रोड़ पर भीख मांगने का काम करते हैं और मैं नहीं समझता हूं कि भीख मांगने वाले किसी बच्चे का बाप या मां यह चाहता होगा कि मेरा बच्चा भीख मांगे, लेकिन मजबूरन बच्चे को भीख मांगनी पड़ रही है । ऐसे बच्चों के लिए न तो अभी तक सरकार ने कोई जिम्मेदारी ली है और न ही समाज ने कोई जिम्मेदारी ली है । कानून बना दिये गये हैं कि कोई बच्चा भीख नहीं मांग सकता है, भीख मांगेगा तो उसके लिए सेवा कुटीर या बेगर्स होम बना दिया गया है और इन बेगर्स होम्स की क्या हालत है वह आज से चार दिन पहले आपको पता लगा होगा जब मंत्री की हैसियत से मैं स्वयं उस बेगर होम में जो भीख मांगने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, गया... । तो जब मैं वहां गया-वह भी हमको ऐसे पता चला कि जब मैं मेम्बर आफ पार्लियामेंट था, तो हमारे ही गांव का एक लड़का, उसका भी नाम राम विलास पासवान ही था, उसको ले जा करके बेगर्ज होम में बंद कर दिया गया था क्योंकि वह पैसा कमाकर हरियाणा, पंजाब से आ रहा था और उसको स्टेशन पर से पकड़ करके, उससे पैसा भी छीन लिया गया था और ले जाकर के उसे बेगर्ज होम में बंद कर दिया गया और उसके साथ का दूसरा लड़का जब छूट करके निकला तो उसने जब हमको यह सारी स्थिति बतलाई तो मैं गया था और मैं उसको छुड़ा करके लाया था ।

तो यह दृश्य हमारे सामने था और जब मैं कल्याण मंत्री बना, तो मैंने सोचा कि चलकर के हम बेगर्ज होम की हालत देखें और इसलिए मैं बिना किसी को

कहे-सुने बेगर्ज होम चला गया, सेवा कुटीर किंग्जवे कैम्प में है, वहां चला गया और वहां जब मैं गया तो वहां पर 217 बेगर्ज थे। वहां बेगर्ज के नाम पर उस बेगर्ज होम में 217 लोग रहते हैं और 217 में से जो मैंने देखा, तो 150 ऐसे लोग थे जो बेगर्ज नहीं थे, जो पुलिस सेवा में भी भर्ती के लायक हो सकते हैं और मंत्री की हैसियत से मैंने वहां आर्डर दिया कि इन 150 लोगों को इमीजेटली छोड़ दिया जाए।

लेकिन कानून सामने आकर खड़ा हो गया कि एक-तिहाई पीरियड जो है, जेल का या जो कस्टोडी का है, वह भुगतना पड़ेगा। सो हम तरह लोगों को छुड़ा पाये। फिर दूसरे दिन मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को साथ में लिया, हमने कहा कि चलिए, क्योंकि यह दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्जुन सिंह जी भी साथ में थे। वह गये और उन्होंने स्वयं देखा। वह भी आश्चर्यचकित हो गये कि यहां क्या है, और उन्होंने कहा कि मैं एक-एक केस की तह में जाऊंगा और निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करूंगा।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर एक आदमी जो बंद है, वह पता नहीं कि अभी तक छूटा है कि नहीं छूटा है, वह एक चौहान है इटावा का, वह एम.ए. पास है इकनामिक्स में, उसकी लड़की की एक महीने के बाद शादी होने वाली है और वह लड़की भी आई. ए. पास है, और वह बेचारा बेगर्ज के नाम पर बंधा हुआ है।

तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश में ऐक्ट और फैक्ट में कोई तालमेल नहीं रहा है। ऐक्ट अलग होता है, फैक्ट अलग होता है। एक्ट क्या है कि बेगर्ज होम उस गरीब के लिए है, जो रोड के ऊपर भीख मांगता है, जिसका कोई देखने वाला नहीं है, जिसका कोई रिहैबिलीटेशन का सहारा नहीं है, यह तो उसके लिए बनाया गया, उसको सेवा कुटीर का नाम दिया गया था कि उस सेवा कुटीर में ले जाकर के उसको रखा जाएगा और वहां यह भी प्रावधान किया गया कि वहां जब वह जाएगा, तो वह काम करेगा और उसको मजदूरी भी दी जाती है, साढ़े सोलह रुपये उसकी मजदूरी है। यदि कोई भीख मांगने वाला वहां ले जाया जाता है और वह काम करता है, तो उसके लिए उसे साढ़े सोलह रुपये मजदूरी दी जाएगी और वह मजदूरी उसके पास या बैंक में या कहीं वह जमा करेगा, जिससे कि उसकी भविष्य में मदद हो। लेकिन वह बेगर्ज के लिए काम नहीं हो रहा है। जो आदमी पकड़ कर वहां लाया जाता है और उससे काम करवाया जाता है, तो उसे साढ़े सोलह रुपये के बदले में एक रुपया महीने में दिया जा रहा है।

तो इसलिए मैंने कहा कि इस देश में एक ही बीमारी नहीं है और हमारे साथियों ने ठीक ही कहा है कि आज हालत यह है कि हम डी.डी.टी. से मच्छर को मार सकते हैं। हम उन लोगों को लाकर के जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन जब तक इस देश में गंदा नाला साफ नहीं होगा, तब तक मच्छर का पैदा होना बंद नहीं होगा। और जब तक मच्छर पैदा होता रहेगा, तब तक हम लोग डी.डी.टी. का इस्तेमाल करके मच्छर को तो मार सकते हैं, लेकिन जब तक गंदा नाला रहेगा, मच्छर पैदा होना हम रोक नहीं सकते हैं।

इसलिए मैंने कहा कि सरकार—यह कोई एक सरकार की बात नहीं है, पुरानी सरकार के समय से भी यह मामला सामने आया था और 1970 का जो दशक था, उसमें भी भारत सरकार ने काफी गम्भीरता से विचार किया था, लेकिन जब राज्य सरकार के पास यह मामला गया, तो राज्य सरकार ने इसका विरोध कर दिया, कहा कि यह सम्भव ही नहीं है। अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं हो पाया है कि जो घरेलू नौकर हैं, उनकी संख्या क्या है? लेकिन भारत सरकार चाहकर भी पूरे देश में सर्वेक्षण नहीं करवा सकती है। हम तो अंततोगत्वा राज्य सरकार से आग्रह कर देंगे और जब हम राज्य सरकार से आग्रह करेंगे तो यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि हम निश्चित रूप से राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे कि उनकी

[श्री राम विलास पासवान]

दशा को सुधारा जाय अभी तक घरों में काम करने वाले नौकर के लिए अलग विधान नहीं है । हमारा जो मिनिमम वेजेज एक्ट बना हुआ है । वह वेजेज एक्ट सब के ऊपर लागू होता है, लेकिन उसकी जो दुर्गति हो रही है वह हम लोग देख रहे हैं । इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब तक गांवों मे लोगों में खुशहाली नहीं आती, जब तक हम "राइट टू वर्क" यानी काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में जोड़कर जो कम-से-कम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए काम की व्यवस्था नहीं कर सकते, राइट टू एम्प्लायमेंट नहीं देते तब तक मैं समझता हूं कि चाहे दुकान पर काम करने वाला मजदूर हो या घर मे काम करने वाला नौकर हो चाहे रोड पर भीख मांगने वाला बच्चा हो, हम इस समस्या से देश को नहीं निकाल सकते हैं ।

महोदय, हमारी सरकार अभी नयी-नयी आई है । मै लेबर मिनिस्टर की हैसियत से इस सदन में... **(व्यवधान)**...

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, मैं एक सफाई चाहता हूं कि "राइट टू वर्क" फंडामेंटल राइटस में जोड़ देने से मतलब क्या है मंत्रीजी का ? मैं जानना चाहता हूं कि केवल जुड़ जाएगा, एक्ट बना दिया जाएगा, संविधान मे संशोधन कर दिया जाएगा, उससे सब हो जाएगा या देश की आर्थिक व्यवस्था या इकोनोमी को इतना बदल दिया जाए कि हर आदमी को काम मिल जाए क्योंकि यह सरकार बहुत भारी संकट मे फंसी वाली है । ज्यों ही संविधान में यह पास हो जाएगा कि फंडामेंटल राइटस में "राइट टू वर्क" जोड़ दिया जाएगा तो इस देश में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं । लेकिन यह सरकार कहती है कि 1 करोड़ 20 लाख लोग बेकार हैं । यह सरकार का हिसाब है तब तो मुझे कुछ नहीं करना है । लेकिन हम जानते हैं और मंत्री जी भी जानते हैं कि प्रति चार परिवार से एक आदमी बेरोजगार है और 11 करोड़ परिवार इस देश में हैं तो यदि आप 10 रुपया रोज भी देंगे तो आपको 36 हजार करोड़ सालाना खर्चा आएगा । क्या सरकार वह कर सकती है ?

श्री राम विलास पासवान : उपसभाध्यक्ष जी, मैं जिस बात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि इस देश मे सिर्फ इतना ही नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाय बल्कि इस देश में सबसे बड़ा महत्व इस बात का है कि "डिग्निटी आफ लेबर" रहे, जो काम करता है, उसको इज्जत मिले ।

श्री राम अवधेश सिंह : सरकारी नौकरी से मतलब नहीं, कोई रोजगार जीने के लिए चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : तो उसको इज्जत मिले और मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि सरकार सेंट्रल लेजिस्लेशन लाने जा रही है । जो खेतिहर मजदूर हैं, उनके संबंध में हम केन्द्रीय कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं । इस केन्द्रीय कानून के अंतर्गत हम "राइट टू एम्प्लायमेंट" की गारंटी देंगे । जितने दिनों तक किसान काम देगा, वह काम करेगा और यदि किसान के यहां उसे काम नहीं मिलता है तो सरकार उसके लिए काम की व्यवस्था करेगी । इसके लिए बजट का 50 फीसदी भाग हम ग्रामीण विकास पर खर्च करेंगे । जब हम ग्रामीण विकास पर खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से गांवों मे सड़कें भी बनेंगी, गांव के विकास के साधन भी खुलेंगे और जब गांव मे विकास के साधन होंगे तो निश्चित रूप से जो खेतिहर मजदूर हैं उनको रोजगार मुहैया किया जाएगा । तो राइट टू एम्प्लायमेंट का मतलब या काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में जोड़ने का मतलब सब को सरकारी नौकरी नहीं होना है । हम को अर्थ व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा । जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं... **(व्यवधान)**...

श्री राम अवधेश सिंह : मेरा सरकारी नौकरी से कतई मतलब नहीं था, मेरा मतलब रोजगार से था ।

श्री राम विलास पासवान : इसलिए मैं राम अवधेश जी से कहूंगा कि इस इश्यू को डायवर्ट नहीं करें तो मैं वह कह रहा था उपसभाध्यक्ष महोदय कि ... उपसभाध्यक्ष जी, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं कि जब तक इस देश में गरीबी रहेगी, तब तक इस देश के जो बच्चे हैं, ठीक कहा हमारे साथियों ने कि संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी में हमने साफ कहा है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जिस व्यवस्था के तहत जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, सबके लिए हम शिक्षा की व्यवस्था करें, सबको हम अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से विकसित करने का मौका दें, लेकिन नहीं हो पाया। उसके विपरीत इस देश में जहां जो लड़के हैं, न सिर्फ मैंने कहा कि जो घर में काम करने वाले बच्चे हैं, नौकर हैं, उससे भी जो स्थिति खराब है वह उसकी है जो लड़का कटोरा लेकर भीख मांगने का काम करता है और वह भी इसी देश का बच्चा है, इसी समाज का बच्चा है। हमने उसके लिए कानून भी बना दिया है, लेकिन उस कानून का पालन क्या हो रहा है? उसका पालन हो रहा है कि भिखमंगे के लिए रिहेब्लिटेशन नहीं हो रहा है, बल्कि जो नहीं है भिखमंगा, उनको भिखमंगा बनाया जा रहा है। तो इसलिए एक्ट और फैक्ट का जो मैंने मामला कहा, उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा और इसके लिए जो तमाम साथियों ने भावना व्यक्त की है, उसमें कोई दो मत नहीं हैं कि घर में जो बच्चे काम करते हैं, वह बात अलग है कि किसी के घर में कोई नौकर काम करता है, वह उस नौकर को अपने लड़के के समान रखता है, लेकिन यह भी सत्य है कि नौकर को वह गुलाम भी समझता है और वह नौकर से 24 में से 18 घंटे काम भी लेता है और जो बापू कालदाते ने अपने बिल में कहा है, उसमें कोई दो मत नहीं हैं कि उसके ऊपर यातनायें होती हैं, उसका भविष्य असुरक्षित रहता है। कोई बच्चा अगर 5 साल से काम करना शुरू कर दे तो वह सोच भी नहीं सकता है कि वह अच्छा नागरिक बन सकता है और यह सिर्फ दिल्ली या बम्बई की बात नहीं है जहां घर में नौकर काम करते हैं, गावों में भी चले जाइये, हम लोग गांव में आते हैं और हम देखते हैं कि एक मजदूर पुश्त-दर-पुश्त पिछली 10 जेनेरेशन से उसको ले लीजिए, तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति में कहीं सुधार नहीं हुआ है, बल्कि दिनों-दिन वह घटती रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद ज्यों ही वह होश संभालता है त्यों ही उसको कहा जाता है कि फलां जगह जाकर तुम गाय चराओ, वहां जाकर तुम बकरी चराओ, वहीं तुमको खाना मिलेगा, नतीजा यह होता है कि वह वहां जाकर गाय-भैंस चराने लगता है और फिर होते-होते वह बंधुआ मजदूर बन जाता है, कहने के लिए वह खेतिहर मजदूर, है लेकिन वह बंधुआ मजदूर बन जाता है और उसी तरह से कोई लड़का, थोड़ा सा जिसका बाप या लड़का होशियार हुआ, वह चाय की दुकान पर चला गया और चाय की दुकान पर भी दिन-रात उसको काम करना पड़ता है। उससे भी होशियार कोई लड़का हुआ तो वह दिल्ली या बम्बई चला आया और किसी के घर में जाकर नौकरी करने लगा, लेकिन नौकरी में भी, भविष्य की गारण्टी चाहे होटल में काम करने वाला लड़का हो या प्राइवेट में काम करने वाला लड़का या किसी बड़े गांव में गाय-भैंस चराने वाला लड़का, भविष्य की गारण्टी किसी को नहीं है। लेकिन यदि पूरा सदन यह कर ले कि जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं, जो खेती में काम करने वाले मजदूर हैं, जो काम करना चाहते हैं, यदि हमने उनके लिए साल भर काम मुहैया कर दिया और जिस समय साल भर हम उनको काम की गारण्टी दे दें और उसको यह विश्वास हो जाए कि एक मजदूर ज्यादा नहीं हजार रुपया, हजार नहीं तो पांच सौ रुपया मजदूर कमाएगा और यदि उसके परिवार में दो प्राणी हैं और यदि दोनों मिलकर एक हजार रुपया कमाते हैं और उस एक हजार में से यदि सौ रुपया भी वह बचाकर के पासबुक में जमा करता है और यदि उसमें केन्द्र और राज्य की सरकार, दोनों मिलकर भी यदि सौ रुपया और जोड़ दें तो निश्चित रूप से कोई भी मजदूर जब वह वृद्धावस्था में आएगा, वह करेगा

[श्री राम विलास पासवान]

तो उसकी पास बुक में, उसके बैंक में कम से कम 50 हजार रुपया उसके नाम पर जमा रहेगा और जिस दिन किसी मजदूर के बैंक में 50 हजार रुपया जमा रह जाएगा तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई बाप अपने बेटे की किसी के घर काम करने की इजाजत देगा, कोई बाप अपने बेटे को रोड पर भीख मांगने की इजाजत देगा।

5.00 P.M.

इसीलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा है कि हम इस संबंध में कानून बनायें। हम इसके लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन लाने जा रहे हैं और अनआर्गनाइज्ड लेबर के संबंध में कानून बनाने जा रहे हैं।...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): I request the hon. Minister to continue next time.

Now, we will take up further discussino no the Railway Budget.

BUDGET (RAILWAYS), 1990-91— GENERAL DISCUSSION AND RESOLUTION APPROVING RECOMMENDATION OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE, 1989—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Shri Ashwani Kumar.

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र) रेलवे मिनिस्टर कहां हैं ... **(व्यवधान)**

SHRI RAM AWADHESH SINGH: (Bihar): The Minister must be here.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M. S. GURUPADASWAMY: The hon. Member knows the conventions. The other Ministers are present. The other Ministers ares equally responsible.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: The Railway Ministry presents its own Budget. (*Interruptions*) Is he likely to come after some time?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): The discussion is going on in the other House. He will come soon.

श्री राम अवधेश सिंह : रेलवे बजट में कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी नहीं है... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA' MOHAN REDDY): Please allow the speaker.

श्री राम अवधेश सिंह : श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ़ आर्डर है, व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि रेलवे बजट रेल मंत्री जी पेश करते हैं जो आम बजट से अलग है, इसलिए रेलवे मंत्री को रेल बजट पर बहस के समय मौजूद होना चाहिए।....

(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Already, the Leader of the House has explained.

श्री राम अवधेश सिंह : आपकी व्यवस्था क्या है? जब तक नहीं आते, आप इसको रोक दीजिए ... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): The Minister is there. He is taking down the points. The Railway Minister will join soon. You please allow the speaker.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: The Railway Minister must be here.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): He is attending the other House. He will be coming and joining very soon. You allow the speaker.

श्री अश्विनी कुमार (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, नई सरकार के रेल मंत्री ने कुछ घोषणायें बजट में और कुछ घोषणायें बजट से पूर्व मंत्री बनने के बाद की हैं जिनमें से दो घोषणाओं का मैं स्वागत करता हूं। इनमें से एक तो यह है कि हमारी बहुत दिनों से उत्तर बिहार की मांग रही है कि उत्तर प्रदेश को छितौनी और मैदरौना को बगहा से जोड़ा जाए। उसके लिए उन्होंने पुल का शिलान्यास किया है। मैं उनसे आपके माध्यम से यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि वह ऐसा पुल है जिसका तीसरी बार शिलान्यास